UPME010008172017

न्यायालयः अपर सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय संख्या–01, मेरठ।
उपस्थितः कल्पना चौहान, उच्चतर न्यायिक सेवा (UP-3847)
सत्र परीक्षण संख्याः 91 सन् 2017

सरकार	**बनाम**	**कपिल कुमार पुत्र चरण सिंह निवासी–ग्राम लिसाड़ी डाकखाने वाली गली थाना लिसाड़ी गेट, जिला मेरठ। मु0 अ0 संख्या–196 सन् 2016 धाराः 420,406,328,376, 506 भा0दं0सं एंव धारा 67 सूचना प्रोद्योगिकी अधि0 थानाः ब्रहमपुरी, जिला–मेरठ, उ0प्र0।**

उपस्थित अधिवक्तागण

राज्य की ओर से–	**श्री सचिन मोहन–सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी)**
अभियुक्त की ओर से अधिवक्ता–	**श्री आस मौहम्मद**

निर्णय

1– प्रस्तुत अभियोजन में अभियुक्त कपिल कुमार का विचारण वर्तमान सत्र परीक्षण के द्वारा भारतीय दंण्ड संहिता की धारा–**420,406,328,376, 506** भा0दं0सं0 के अधीन पुलिस थाना–ब्रहमपुरी, जिला–मेरठ द्वारा प्रस्तुत **आरोप पत्र प्रदर्श क–8** के आधार पर किया गया है।

2– धारा 228क भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधान तथा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित न्यायिक दृष्टांत के अनुक्रम में पीड़िता की पहचान का प्रकटीकरण नहीं किया जा रहा है, बल्कि उसके सम्बन्ध में **पीड़िता** शब्द का प्रयोग इस निर्णय में किया जा रहा है।

3– अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि, वादनी मुकदमा/पीडिता द्वारा डी0आई0जी, मेरठ परिक्षेत्र, मेरठ को **तहरीर प्रदर्श क–1** दिनांकित 07.05.2016 प्रस्तुत करके इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट **प्रदर्श क–7** दर्ज करायी गयी कि '' उसकी चार लड़किया एंव दो लडके है जो सभी अविवाहित हैं। लगभग डेढ साल से उसकी लडकियां उसके घर पर लोकवाणी केन्द्र चलाती हैं, जिस कारण वहां पर मूल निवास, जाति प्रमाण, आय प्रमाण ,सामान्य निवास प्रमाण पत्र आदि बनवाने के लिये काफी लोगों का आना–जाना लगा रहता है। इस दौरान दिंनाक 26.12.2014 से कपिल कुमार पुत्र श्री चरण सिंह, निवासी ग्राम

लिसाड़ी डाकखाने वाली गली, थाना लिसाड़ी गेट, मेरठ शहर भिन्न–भिन्न लोगों के साथ लोकवाणी केन्द्र पर आय, जाति एंव सामान्य प्रमाण पत्र आदि बनवाने हेतु आता रहा तथा इस दौरान उसने बताया कि उसके मौसा नरेन्द्र कुमार पुत्र नानक चन्द, निवासी ग्राम फखरपुर कबटटा ,थाना खरखौंदा, जिला मेरठ नारी विकास संस्थान चलाते हैं, जिससे वह अविवाहित लड़कियो एंव लडको के विवाह–शादी कराने का कार्य करते हैं। जिस पर उसने नरेन्द्र कुमार से मिलवाया, जिसने उसकी बड़ी बेटी के विवाह के लिये किसी आदित्य सिंह पुत्र स्व0 प्रताप सिंह, निवासी म0नं0 262 जी–ब्लॉक मंगोलपुरी, दिल्ली का फोटो लगा बायोडाटा दिंनाक 15.01.2015 को लाकर दिया और कहा कि यह लड़का यू0पी0 पुलिस में सब–इन्सपेक्टर की ट्रेनिंग कर रहा है। वादनी द्वारा हॉ कहने पर कपिल कुमार व नरेन्द्र कुमार ने बायोडाटा में उल्लिखित आदित्य की इ–मेल आई0डी0 पर पीडिता के हाल के फोटो भेजने को कहा, जिस पर उसने पीडिता के हाल के फोटो खिचवा कर बायोडाटा में उल्लिखित ई–मेल आई0डी0 पर दिनांक 21.01.2015 को भिजवा दिये। इसके बाद उसने इन लोगों से इस लड़के को दिखलाने और उससे बात कराने के लिये कहा, लेकिन उन्होनें उसकी बात नहीं करायी और बहाना बनाते रहे और लाचार होकर तब उसने अपनी बेटी/पीडिता से बायोडाटा पर उल्लिखित मोबाईल नम्बर 08266832920 पर बात कराई तो उस नम्बर से फोन आने शुरू हो गये तथा कुछ दिनों बाद दूसरी तरफ से अलग–अलग नम्बरों से अश्लील बाते व अश्लील मैसेज पीडिता के मोबाईल नम्बर 9837910116 पर आने लगे। इसी दौरान बायोडाटा पर लिखे मोबाईल नम्बर 08266832920 से उसकी दूसरी बेटी के मोबाईल नम्बर पर कपिल कुमार ने बी.टेक दाखिले हेतु काउंसलिंग की जानकारी दी, जिस पर वादनी को शक हुआ कि कहीं कपिल कुमार ही तो आदित्य सिंह बनकर पीडिता से अश्लील बात व मैसेज तो नहीं कर रहा है। पूछने पर कपिल कुमार ने इस बात के लिये मना कर दिया तथा तभी से वह मोबाईल नम्बर बंद चला आ रहा है। कपिल कुमार ने उसे बताया कि दिल्ली विकास प्राधिकरण में अल्प आय वर्ग के लिये भवन बुक किये जा रहे हैं, जिस हेतु विकलांगो व विधवाओ हेतु अंकन 8,000/–रू0 और सामान्य वर्ग के लिये 20000/–रू0 बुकिंग हेतु जमा करने होगें तथा कई अधिकारियो व बाबुओ से उसने अपनी जान–पहचान बतायी। जिस पर कपिल कुमार ने उसके परिवार के सभी व्यक्तियो, रिश्तेदारो व जानकारो के फार्म भरवाये तथा उनके साथ उन सभी व्यक्तियों की चार फोटो, आई0डी0 व बैंक एकाउण्ट की फोटो कॉपियो तथा शपथ पत्र व वांछित धनराशि लेकर कुछ दिनों बाद उन लोगों को कपिल कुमार ने यह कहकर रसीदें सौंप दी कि आपके फार्म व रूपये दिल्ली विकास प्राधिकरण में जमा करा दिये गये हैं। कपिल कुमार ने वादनी व अन्य लोगों से करीब 12 लाख रूपये नकद ले लिये। कपिल कुमार ने सभी लोगों को छः माह के अंदर भवन आवंटन की बात बतायी थी, लेकिन कपिल कुमार के वायदेनुसार किसी को भी

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा भवन आवंटन की सूचना प्राप्त न होने के कारण उसने व अन्य लोगों ने कपिल कुमार के बारे में पूछताछ करनी शुरू कर दी तो वह कोई न कोई बहाना बनाकर टालता रहा। इसी दौरान दिनांक 30.10.2015 को कपिल कुमार ने रूपये देने का बहाना बनाकर उसकी बेटी/पीडिता को अपने घर बुलाया, वहां उसके बहनोई प्रताप सिंह, मोनू सागर, सतीश, संजय मिले, जिन्होनें पीडिता को बहला–फुसला कर उसके फोटो खींचे तथा उसके बाद कोल्डड्रिंक पीने को दिया, जिसके बाद पीडिता बेहोश हो गयी तथा अगली सुबह उसे होश आया। इन लोगों ने पीडिता को धौंस दी कि तू कपिल कुमार की पत्नि बन चुकी है। यदि तूने इस बारे में कहीं जिक्र किया तो तेरा जीवन बर्बाद कर देंगें। इसके पश्चात् वे लोग रूपये देने के बहाने पीडिता को ब्लेकमेल करते रहे तथा इसी दौरान कपिल कुमार ने ब्लेकमेल कर अपने घरवालो व रिश्तेदारो के साथ पीडिता के कुछ फोटो भी खिचवाये और इन फोटों को इन्टरनेट पर डालकर पीडिता का जीवन बर्बाद करने की धमकी देकर कपिल कुमार व मोनू सागर ने कई बार उसकी बेटी/पीडिता के साथ जबरदस्ती यौन सम्बन्ध भी बनाये तथा भिन्न–भिन्न नम्बर से पीडिता के मोबाईल पर उल्टे–सीधे अश्लील व धमकी भरे मैसेज व कॉल कर रहे हैं, जिनमें से अधिकांश मैसेज व कॉल रिकार्डिंग पीडिता के मोबाईल में सुरक्षित हैं। ये लोग सरे आम धमकी देते फिर रहे हैं कि पीडिता की मॉ उनसे रूपये तो क्या वापस लेगी, उसकी लडकी को हम अपनी रखैल बनाके रखेंगें, यदि चालाकी की तो फोटो को इन्टरनेट पर डालकर इतना बदनाम कर दें कि पीडिता व उसकी मॉ के सामने आत्महत्या के सिबाय कोई रास्ता नहीं बचेगा। पीडिता ने दिंनाक 05.05.2016, 07.05.2016, 13.05.2016 को साईबर वूमेन हेल्पलाईन, लखनऊ में भी इस बारे में 1090 नम्बर पर अपनी शिकायत कर चुकी है तथा उनके निर्देशानुसार थाना प्रभारी, ब्रहमपुरी से व्यक्तिगत रूप से मिलकर तथा दिनांक 11.05.2016को स्पीड पोस्ट द्वारा प्रार्थना पत्र दे चुकी है, लेकिन पुलिस थाना ब्रहमपुरी ने आज तक भी रिपोर्ट दर्ज नहीं की। अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि थाना प्रभारी, ब्रहमपुरी को आदेशित किया जाये कि उसकी रिपोर्ट दर्ज की जाकर कानूनी कार्यवाही की जाए। आपकी अति कृपा करें।

4– वादनी मुकदमा की उपरोक्त तहरीर प्रदर्श क–1 के आधार पर दिनांक 20.05.2016 को, सम्बन्धित थाना ब्रहमपुरी पर मु0अ0सं0–196 सन् 2016, अन्तर्गत धारा–420, 376डी., 328, 506 भा0दं0सं0 तथा धारा 67 सूचना प्रोद्योगिकी अधिनियम के तहत कपिल कुमार, नरेन्द्र कुमार, प्रताप सिंह, मोनू सागर, संजय एंव सतीश को नामित करते हुऐ मुकदमा पंजीकृत किया गया। दौरान विवेचना विवेचक द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शानजरी तैयार किया गया। वादनी मुकदमा, पीडिता एवं अन्य साक्षीगण के बयान लेखबद्ध किये गये। विवेचना उपरांत विवेचक द्वारा अभियुक्त कपिल कुमार के विरूद्ध आरोप–पत्र **प्रदर्श क–8** अन्तर्गत

धारा 420, 406, 328, 376, 506 भा0दं0सं0 एंव धारा 67 सूचना प्रोद्योगिकी अधिनियम के अधीन न्यायालय में प्रेषित किया गया, जिस पर विद्वान अवर न्यायालय द्वारा दिनांक 11.11.2016 को प्रसंज्ञान लिया गया तथा मामले को सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय पाते हुए सत्र सुपुदर्गी आदेश दिनांक 10–01–2017 के माध्यम से मामला सत्र न्यायालय को उपार्पित किया गया। माननीय सत्र न्यायालय के आदेश दिनांकित 14.02.1017 के द्वारा वर्तमान सत्र परीक्षण, विचारण हेतु इस न्यायालय में अन्तरित होकर प्राप्त हुआ।

5– दिनांक01.05.2017 को अभियुक्त के न्यायालय उपस्थित आने पर मेरे विद्वान पूर्वाधिकारी द्वारा अभियुक्त कपिल कुमार के विरूद्ध भा0दं0सं0 की धारा–406, 420, 328, 506, 376, भा0दं0सं0 तथा धारा 67 सूचना प्रोद्योगिकी अधिनियम के अधीन आरोप विरचित किया गया। आरोप अभियुक्त को पढ़कर सुनाये व समझाये गये। अभियुक्त ने आरोपो से इन्कार किया तथा विचारण की मांग की।

6– अभियोजन पक्ष की ओर से अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध को सिद्ध करने हेतु मौखिक साक्ष्य में निम्नलिखित साक्षीगण को परीक्षित कराया गया है :–

कम संख्या	**साक्षी संख्या**	**नाम साक्षी**	**साक्षी का प्रकार**
1.	पी0डब्लू0–1	श्रीमती ओमवीरी	वादनी मुकदमा
2.	पी0डब्लू0–2	पीडिता	साक्षी
3.	पी0डब्लू0–3	डा0 श्रीमती रंजू कुमार	चिकित्सक
4.	पी0डब्लू0–4	डा0 ईशा	चिकित्सक
5.	पी0डब्लू0–5	डा0 प्रमिला गौड	पैथोलोजिस्ट
6.	पी0डब्लू0–6	एच0सी0 अमित कुमार	एफ.आई.आर. लेखक
7.	पी0डब्लू0–7	विपिन कुमार	विवेचक
8.	पी0डब्लू0–8	का0 अर्जुन सिंह	द्वितीयक साक्षी
9.	पी0डब्लू0–9	एस0आई0 अमृता सिंह	161 दं0प्र0सं0 लेखक

7– उपरोक्त साक्षियों के अतिरिक्त अन्य कोई साक्षी अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित नहीं कराया गया।

8– अभियोजन द्वारा जो अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत किये गये है उसको दौरान विचारण सुसंगत साक्ष्य द्वारा प्रमाणित एवं सिद्ध कराया गया है जिनको प्रदर्श से क्रमबद्ध किया गया, जो निम्न प्रकार से है:–

कमांक	**विवरण दस्तावेज**	**साक्षी जिसके द्वारा साबित किया गया**	**प्रदर्श**
1.	तहरीर	पी0डब्लू0–1 वादनी मुकदमा ओमवीरी	क–1

2.	कथन धार 164 दं0प्र0सं0	पी0डब्लू0–2 पीडिता	क–2
3.	चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट	पी0डब्लू0–3 डाक्टर श्रीमती रंजू कुमार	क–3
4.	चिकित्सीय रिपोर्ट	पी0डब्लू0–4 डा0 ईशा	क–4
5.	पूरक चिकित्सीय रिपोर्ट	पी0डब्लू0–4 डा0 ईशा	क–5
6.	पैथोलॉजि रिपोर्ट	पी0डब्लू–5 डा0 प्रमिला गौड	क–6
7.	एफ0आई0आर0लेखक	पी0डब्लू0–6 एच.सी. अमित कुमार	क–7
8.	आरोप पत्र	पी0डब्लू0–8 का0 अर्जुन सिंह	क–8
9.	नक्शानजरी	पी0डब्लू0–9 ʼʼ ʼʼ	क–9
10.	धारा 161 दं0प्र0सं0 लेखक	पी0डब्लू0–9 एस0आई0 अमृता सिंह	

9– अभियोजन साक्ष्य समाप्ति के पश्चात् अभियुक्त का कथन अन्तर्गत धारा–313 दं0प्र0सं0 लेखबद्ध किया गया। जिसमें अभियुक्त द्वारा कथित घटना का गलत होना, गलत विवेचना कर आरोप पत्र प्रेषित करने, झूठे बयान देने का कथन करते हुऐ कथन किया है कि दिनांक 08.02.2015 को पीडिता के साथ उसकी शादी हुई थी। शादी के बाद वह गर्भवती थी। मैं बच्चा चाहता था, वह बच्चा नहीं चाहती थी, इसी विवाद को लेकर फर्जी मुकदमा लिखाया है। उसे झूठा फंसाया गया है।

10– मैंने विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) तथा बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के तर्को को विस्तारपूर्वक सुना तथा पत्रावली का सम्यक् अवलोकन किया।

11– विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि, अभियुक्त द्वारा वादनी मुकदमा एंव रिश्तेदारो से विकलांग व विधुवाओ के लिये आवास आवंटन हेतु करीब बारह लाख रूपये धोखाधडी से प्राप्त किये तथा मांगने पर भी वापस नहीं किये एंव वादी मुकदमा की पुत्री/पीडिता को कोल्डड्रिंक पिलाई, जिससे वह बेहोश हो गयी और उसके साथ जबरदस्ती यौन सम्बन्ध बनाये तथा अश्लील फोटो खींचे और उनको इन्टरनेट पर डालकर बदनाम करने की धमकी दी व जान से मारने की धमकी दी। अभियुक्त के विरूद्ध लगाये गये आरोपों को अभियोजन की ओर से प्रस्तुत गवाहान द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में पूर्णतया साबित किया गया है। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध घटना पूर्णतया साबित होती है। तदनुसार अभियुक्त को उसके विरूद्ध लगाये गये आरोप अन्तर्गत धारा–420, 406, 328, 376, 506 भारतीय दण्ड संहिता एंव धारा 67 सूचना प्रोद्योगिकी अधिनियम के अधीन दोषसिद्ध किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

11– इसके विपरीत बचाव पक्ष की ओर से यह तर्क दिया गया कि, अभियोजन द्वारा घटना के समर्थन में तथ्य के साक्षी पी0डब्लू0–1 श्रीमती ओमवीरी, पी0डब्लू0–2 पीडिता के बयानो में घोर विरोधाभास है। अभियुक्त द्वारा वादी मुकदमा एंव रिश्तेदारो से कोई धनराशि धोखाधडी

से प्राप्त नहीं किये ना ही वादी मुकदमा की पुत्री/पीडिता को कोल्डड्रिंक पिलाई, जिससे वह बेहोश हो गयी और उसके साथ जबरदस्ती यौन सम्बन्ध बनाये तथा अश्लील फोटो खींचे और उनको इन्टरनेट पर डालकर बदनाम करने की धमकी दी ना ही जान से मारने की धमकी दी। ये तर्क किया कि दिनांक 08.02.2015 को पीडिता के साथ उसकी शादी हुई थी। शादी के बाद वह गर्भवती थी। वह बच्चा चाहता था, वह बच्चा नहीं चाहती थी, इसी विवाद को लेकर फर्जी मुकदमा लिखाया है। ये भी कथन किया है कि जिन व्यक्तियो से अभियुक्त के द्वारा आवास आवंटन हेतु धोखाधडी से धनराशि ली गयी, उनको भी साक्ष्य में पेश नहीं किया गया है। वादनी एंव पीडिता मॉ–बेटी हैं तथा हितवध साक्षी हैं। उनके अतिरिक्त कोई स्वतन्त्र साक्षी न्यायालय में पेश नहीं किया गया है। वादनी का कहना है कि उन्हें फर्जी रसीद आवास आवंटन से सम्बन्धित दी गयी, परन्तु उन्हीं भी साक्ष्य में दाखिल किया गया है। अभियुक्त निर्दोष है, उसे झूठा फंसाया गया है। इस प्रकार अभियोजन पक्ष, पत्रावली पर उपलब्ध कराये गये मौखिक तथा दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध लगाये गये आरोपो सन्देह से परे साबित करने में पूर्णतया असफल रहा है। तदनुसार अभियुक्त को दोष मुक्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

12– उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा दिये गये उपरोक्त तर्कों के परिप्रेक्ष्य में इस मामले में निम्न अवधार्य प्रश्न उत्पन्न होते हैं:–

1:– क्या अभियुक्त द्वारा दिंनाक 30.10.2015 को वादी मुकदमा की पुत्री/पीडिता को रूपये लेने के बहाने बुलाया और उसे कोल्डड्रिंक पिलाई, जिससे वह बेहोश हो गयी और उसके साथ जबरदस्ती यौन सम्बन्ध बनाये तथा अश्लील फोटो खींचे और उनको इन्टरनेट पर डालकर बदनाम करने की धमकी दी व जान से मारने की धमकी दी तथा कथित घटना के बाद भी शारीरिक सम्बन्ध बनाये।

2:– अभियुक्त द्वारा वादी मुकदमा एंव रिश्तेदारो से करीब बारह लाख रूपये विकलांग एंव विधवा महिलाओ से निर्बल वर्ग आवास आवंटन हेतु धोखाधडी से प्राप्त किये तथा मांगने पर भी वापस नहीं किये?

3:– यदि अवधार्य प्रश्न संख्या–1 का उत्तर सकारात्मक आता है तो अभियुक्त को क्या दण्ड देना उचित होगा ?

13– **–: निष्कर्ष :–**

13अ अभियोजन की ओर से **साक्षी पी0डब्लू0–1 वादनी मुकदमा श्रीमती ओमवीरी** को परीक्षित कराया गया है। यह साक्षी पीड़िता की मॉ है और इसी के द्वारा डी0आई0जी0 मेरठ परिक्षेत्र को प्रार्थना पत्र देकर थाना ब्रहमपुरी पर इस घटना की रिपोर्ट दर्ज

करायी गयी है। इस साक्षी ने मुख्य परीक्षा में यह कथन किया है कि सविता रानी सबसे बडी बेटी है मेरी लडकिया पढती है। सविता एडवोकेट है। मेरी लडकी सविता अन्य बहनो के साथ मिलकर लोकवाणी केन्द्र चलाती है। दिंनाक 26.12.2014 को कपिल पुत्र चरण सिंह निवासी लिसाडी डाकखानो वाली गली दुकान पर आया था तथा काफी लोगो के आय जाति प्रमाण पत्र बनवाये थे। यह हमारे केन्द्र पर आता जाता था। बातचीत के दौरान कपिल ने बताया कि मेरे मौसा नरेन्द्र कुमार पुत्र नानक चन्द निवासी फकरपुर थाना खरखौदा जिला मेरठ अविवाहित लडकियों का विवाह कराने का काम करते हैं। दिनांक 15.01.2015 को कपिल कुमार ने आदित्य पुत्र प्रताप सिंह निवासी 262जी ब्लाक मंगोलपुरी दिल्ली का फोटो लगा बायोडाटा लाकर दिया तथा बताया कि लडका यू.पी. पुलिस में एस.आई. है तथा आपकी बेटी सविता के लिए सही वर है मेरे हां कहने पर कपिल कुमार द्वारा सविता का फोटो तथा बायोडाटा आदित्य कुमार के ई–मेल पर भेजने को कहा। मैने 21.01.2012 को यह सब बतायेनुसार भिजवा दिये थे। जब मैने लडके से मिलने को कहा तो कपिल बहानेबाजी करने लगा तथा हमारी बात नही कराई। तब मेरी बेटी ने मो.नं. 8266832920 पर बात की। फिर उस नम्बर से फोन आने शुरू हो गये। कुछ दिन बाद अलग अलग नम्बरो से सविता के मोबाईल नं. 9837910116 पर अश्लील बाते आने लगी। इसी दौरान बायोडाटा पर लिखे नम्बर से मेरी बेटी शीतल के मोबाईल नं. पर बीटेक के दाखिले के लिए काउंसलिंग की जानकारी दी जिस पर मुझे शक हुआ कि कपिल ही आदित्य बनकर सविता से अश्लील बाते तो नहीं कर रहा है। मैने कपिल से पूछा तो मना कर दिया उस नंबर से फोन आने भी बंद हो गये। कपिल कुमार ने एक दिन बताया कि दिल्ली विकास प्राधिकरण में विकलांग व विधवाओं के 8000/– रूपये तथा सामान्य वर्ग के लिए बीस हजार रूपये जमा कराने पर भवन बुक कराये जा सकते है। मेरी प्राधिकरण में पहचान है। बुक कराने पर भवन जरूर मिल जायेगा। मैने अपने परिवार, रिश्तेदारों व जानकारों के फार्म भर कर कागजात व बारह लाख रूपये ले लिये तथा कपिल कुमार ने लिये रूपयों की फर्जी रशीद दी तथा बताया कि आपके रूपये प्राधिकरण में जमा करा दिये हैं तथा छः माह में मकान मिलना बताया। छः माह में मकान न मिलने तथा प्राधिकरण में पूछताछ की तो पता चला कि किसी के नाम कोई पैसा जमा नहीं कराया तथा रसीदे फर्जी हैं। कपिल से रूपये वापस मांगने पर बहन की शादी का झांसा देकर टालता रहा। दिनांक 30.10.2015 को कपिल ने सविता का रूपये वापस करने के बहाने अपने घर बुलाया। कपिल के घर पर कपिल का बहनोई प्रताप सिंह निवासी सिवाया तथा मोनू सागर निवासी भैंसा जिला गौतमबुद्ध नगर मौजूद मिले। जिन्होने मेरी बेटी की वीडियों बनाई तथा कोल्ड ड्रिंक्स पिलाई जिससे सविता बेहोश हो गयी उसके बाद मेरी बेटी ने बताया कि मेरे साथ बेहोशी की हालत में मेरे साथ चारो ने बलात्कार किया था। संजय, मोनू, कपिल, सतीश

ने बलात्कार किया था। कपिल ने सविता को बताया था कि अब तुम मेरी पत्नी बन गयी हो। तेरी जिन्दगी खराब कर देंगे। कपिल ने सविता के साथ अपने रिश्तेदारों के साथ फोटो खिचवाये तथा धमकी दी कि फोटो नेट पर डाल दूंगा। कपिल व मोनू ने मेरी लडकी के साथ बलात्कार किया तथा अश्लील मेसेज करते तथा धमकी देते तथा रखैल बनाकर रखेंगे। फोटो इंटरनेट पर डाल देंगे। शर्म व बदनामी से आत्म हत्या कर लेगी। मैने थाने पर बताया था जब रिपोर्ट नहीं लिखी तो डी.आई.जी. को प्रार्थनापत्र दिया था। इस प्रकार इस साक्षी ने अपनी **तहरीर प्रदर्श क–1** को साक्ष्य के माध्यम सें साबित किया गया।

बचाव पक्ष की ओर से की गयी प्रतिपरीक्षा में साक्षी ने कथन किया है कि उसकी बेटी/पीडिता एडवोकेट है। वह 5–6 साल से वकालत करती है। उसके प्राईवेट अधिवक्ता श्री राम कुमार मित्तल उसके साथ आये है। उसने बयान नहीं समझा है तथा अपनी बेटी से भी कुछ नहीं समझा है। पीड़िता की शादी हुई ही नही। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि पीड़िता की शादी कपिल से हुई है ओर वह जानबूझकर कानूनी सलाह से झूठ बोल रही है। अग्रेतर साक्षी ने कथन किया है कि उसके घर में लोकवाडी केन्द्र खुला है, यह उसकी बेटी/पीडिता के नाम से है। कपिल लगभग 3 साल पहले कागज बनवाने आया था। कपिल उसके घर मूल निवास, जाति, आय प्रमण पत्र आदि बनवाने आया था। इसके बाद कपिल का आना–जाना शुरू हो गया। कपिल प्रमाण पत्र बनवाने के पैसे भी देता था। आखिरी बार कपिल उसके घर पर मुकदमा दर्ज होने से दो–तीन माह पहले आया था।कपिल ने उसकी बडी लडकी/पीडिता की शादी के लिये लडका बताया था। उसने कपिल से लड़का बताने के लिये नहीं कहा था। ये भी कथन किया है कि कपिल ने जिस आदित्य का नाम बताया था, वह उसके घर नहीं गयी थी, फोन से अपनी लड़की से बात करायी थी। उस नम्बर पर आदित्य नहीं मिला था किसी और ने फोन उठाया था। इसके बाद आदित्स से बात करने की कोशिश नहीं की। उसने कपिल से बताया तो कपिल ने कहा कि वह आदित्य से मिलवा देगा, लेकिन आदित्य से नहीं मिलवाया। जब कपिल से कहा कि उसने झूठ बोला है ते कपिल ने माफी मांग लिया और फिर से उसका आना–जाना शुरू हो गया। ये भी कथन किया है कि इसके बाद कपिल ने मकानो के आवंटन के लिये विकलांगो व विधवाओ से 8000/–रूपये व सामान्य वर्ग से 20,000/–रूपये लिये। उसके व उसके रिश्तेदारो तथा जानकारो से कुल मिलाकर 70–75 फार्म भरवाये। कुछ लोगों को रसीदे भी दी थी। उसे रसीद दी थी या नहीं, याद नहीं है। उसने दरोगा जी को रसीद दिया था। कपिल ने यह मकान दिल्ली डी0डी0ए0 में बुक कराये थे। उसने कपिल को कुल कितने रूपये दिये, याद नहीं है। अग्रेतर कथन किया है कि जिस मकान में वह रहती है, वह उसका अपना मकान है। उसने उसका कोई बैनामा नहीं किया है। पैसे घटना के कितने दिन पहले दिये थे, ध्यान नहीं है। उसने कपिल से आखिरी

बार अपने पैसे कब वापिस मांगे, याद नहीं है। पैसे देने से इंकार करने के बाद कपिल उसके घर नहीं आता–जाता था। अग्रेतर कथन किया है कि दिनांक 30.10.2015 को वह अपनी लडकी/पीडिता के साथ नोएडा सेक्टर–35 में गयी थी, फिर कहा गयी थी या नहीं, याद नहीं है। घटना के साथ वह पीडिता के साथ नहीं थी। उसने घटना खुद से देखी भी नहीं थी। घटना के बारे में उसे उसकी लड़की ने बतायी थी। कोल्डड्रिंक में दवा मिलाकर बेहोश करने व फोटो खींचने वाली बात उसकी लडकी ने दूसरे दिन बतायी थी। पृष्ठ–7 पर कथन किया है कि घटना वाले दिन शाम को पीडिता चुपचाप थी, लेकिन बेहोश नहीं थी। यह घटना दिनांक 30.10.2015 की है या नहीं, वह नहीं जानती। वह पढ़ी–लिखी नहीं है, दिन, तारीख, समय व माह नहीं बता सकती। साक्षी ने स्वीकार किया है कि उसने घटना के 6–7 माह बाद पहली बार प्रार्थना पत्र दिया था। इस दौरान उसकी लड़की चुपचाप रहती थी। उसने आत्महत्या का प्रयास नहीं किया, चूहे मारने की दवा खा ली थी। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि दिंनाक 15.02.2016 को उसकी लडकी/पीड़िता कोटपाल अस्पताल, पल्लवपुरम में कपिल की धर्मपत्नि के रूप में इलाज कराने गयी थी। अग्रेतर साक्षी ने यह भी कथन किया है कि घटना के बाद कपिल गंदी गंदी मैसेज भेजता व नेट पर फोटो डालने व छोटी बहन की जिन्दगी बर्बाद करने की धमकी देता था। साक्षी ने पत्रावली पर संलग्न फोटो 6ख व अन्य फोटो जो बचाव पक्ष द्वारा दिखायी गयी, को देखकर कहा कि यह सभी फोटो जाली व फर्जी हैं। अग्रेतर कथन किया है कि कपिल विकलांग है। साक्षी ने सुझाव से इंकार किया है कि उसने पीडिता की शादी कपिल के साथ की थी तथा कपिल से पैसे ऐठनें की गरज से उसने यह झूठा मुकदमा लिखाया तथा कपिल ने उसकी बेटी के फोन पर अपने नम्बर से कभी कोई अश्लील मैसेज न भेजा हो।

13ब– अभियोजन साक्षी **पी0डब्लू0–2 पीडिता** ने अपने बयान की मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि वह हाजिर अदालत मुलजिम कपिल को जानती हूँ। वह 2014 से लोकवाणी केन्द्र चलाती हूँ। मुलजिम कपिल उसके केन्द्र पर मूल निवास प्रमाण–पत्र, आय प्रमाणपत्र, जाति प्रमाणपत्र दूसरे लोगों के बनवाने आता था। उसकी माताजी श्रीमती ओमबीरी उसके साथ ही केन्द्र पर ही बैठती थी, उसका घर व केन्द्र एक ही जगह पर स्थित है। उसकी मम्मी से मुलजिम कपिल ने कहा मैं आपकी लड़की/पीडिता का रिश्ता करा देता हूँ, उसका मौसा नरेन्द्र कुमार है, जो नारी विकास संस्थान चलाते हुये अविवाहित लड़के व लड़कियों के रिश्ते भी कराते है। दिनांक 15.01.2015 को अभियुक्त कपिल अपने मौसा नरेन्द्र को लेकर उनके घर आया। कपिल के मौसा नरेन्द्र ने एक लड़का जिसका नाम आदित्य बताया था, उसका फोटो लगा बॉयडोटा मेरी मम्मी को दिखाया और हमे बताया कि यह लड़का उत्तर प्रदेश पुलिस में सब इंस्पैक्टर की ट्रेनिंग कर रहा है। मम्मी ने परिवार के बारे में

पूछकर रिश्ते के लिये हाँ कर दी। तब उसकी मम्मी से कपिल व नरेन्द्र ने उसकी फोटो माँगे और फोटो माँगकर उसकी ई–मेल आ.ई.डी. से आदित्य की आई.डी पर मेल करने को कहा। दिनांक 21.01.2015 को उसकी मम्मी ने फोटो खिंचवाकर आदित्य की बतायीं हुयी आई.डी. पर ई–मेल कर दिये। जब काफी समय हो गया और मेरी मम्मी द्वारा लड़को को मिलवाने के लिये कहा तो मुल्जिम आना–कानी करने लगा। फिर मैंने मम्मी के कहने पर आदित्य के बॉयो–डाटा पर लिखे नंबर पर फोन मिलाया, फोन पर उस समय स्पष्ट कोई बात नहीं हुयी। उल्लेखित फोन द्वारा बताया गया कि इस नंबर पर आदित्य नाम का कोई व्यक्ति नहीं है। उसके कुछ दिन बाद उसकी छोटी बहन की काउंसलिग हेतु आदित्य वाले फोन से फोन आया कि तुम्हारी काउंसलिंग है, पूछने पर उसने अपना नाम कपिल बताया। दो–तीन दिन बाद जब कपिल हमारे लोकवाणी केन्द्र पर आया तो उसने मना कर दिया। इसी नंबर से व अन्य नंबरों से उसके फोन पर अश्लील मैसेज भेजे गये। पूछने पर कपिल ने अपना फोन होने से इंकार किया और वह नंबर बंद कर दिया। कुछ दिन बाद इसने आकर मेरी माताजी से बताया कि दिल्ली विकास प्राधिकरण में अल्प– आय वर्ग वाले भवन आंवटित होने है, उसके फार्म भरे जा रहे है, यह भीं बताया कि आठ हजार रूपये विकलांग व विधवा के लिये जमा होने है तथा सामान्य वर्ग के लिये बीस हजार रूपये में बुक किये जा रहे है। उसके बाद कपिल ने उसकि पूरे परिवार के सदस्यों एवं अन्य बीस–पच्चीस लोगों के प्रार्थनापत्र दिल्ली विकास प्राधिकरण के अल्प आय वर्ग के भवन के फार्म भरे तथा साथ ही एक–एक आई.डी प्रूफ व चार फोटो तथा निश्चित धनराशि सभी से प्राप्त कर ली। मकान के आवंटन हेतु छः माह का समय बताया। इस तरह कपिल ने झूठ बोलकर हमसे व अन्य से लगभग बारह लाख रूपये ले लिये। जब छः महीने तक मकान नहीं मिला तो हमने कपिल से पूछताछ की तो कपिल द्वारा दी गयी रसीदों को लेकर हम लोग दिल्ली विकास प्राधिकरण के दफतर गये और वहाँ पता चला कि वहाँ पर कोई भी अल्प आय वर्ग में मकान आवंटित हो रहे है और न ही कपिल नाम का कोई व्यक्ति यहॉ पर कार्य करता है और ये रसीदें फर्जी है। 30 अक्टूबर 2015 को कपिल की बड़ी बहन संरिता ने फोन करके मुझे बुलाया और कहा कि कुछ पैसों का इंतजाम हो गया है, आकर ले जाओ। फिर उसने माताजी से यह बताकर कि कपिल की बहन का रूपया लेने के लिये उसके पास फोन आया है, मैं वहाँ से रूपया लेकर अपने मामा के घर जो कि दैनिक जागरण के पीछे रहते है, चली जाउगी। मैं लगभग सात बजे कपिल के घर गयी तो वहाँ पर कपिल की बहन सरिता मौजूद थी, कपिल के पिता चरन सिंह, कपिल का जीजा प्रताप सिंह, संजय, सतीश व मोनू सागर मौजूद थे। उसकी बहन सरिता ने उसे पीने के लिये कोल्ड ड्रिंक दी, जिससे वह पीकर बेहोश हो गयी। रात को करीब डेढ़–दो बजे होश आया, वह बदवास थी, वह रोयी चिल्लायी चीखी और उसने काफी शोर–शराबा किया। कुंडी अंदर से बंद थी, वह

दरवाजा खोलकर बाहर आयी, उस समय कपिल कमरे में था और उसके बदन पर कोई कपड़ा भी नहीं था। उसने बाहर आकर बहन सरिता व पिता चरन सिंह से सारी बात बतायी तो ये लोग उसके हाथ–पैर जोड़ने लगे और कपिल को बुरा–भला कहाँ। कपिल ने उससे यह भी कहा कि मैंने तेरी वीड़ियो फिल्म बनायी है और उसे वीडियों फिल्म दिखायी। वीडियो फिल्म में उसकी बेहोशी की हालत में कपिल व मोनू सागर उसकी इच्छा के विरूद्ध उसके साथ शारीरिक सम्बन्ध बना रहे थे। इन्होंने यह कहा कि यदि तूने किसी को यह बताया तो तेरा वीडियो फिल्म समाज में फैला देंगे। इस घटना के बाद भी वीड़ियो की आड़ में कपिल व मोनू सागर ने उसके साथ अशलील सम्बन्ध, बनाये, वह बदनामी के डर से चुप रही। 25.04.2016 को इन लोगों की हरकतों से तंग आकर समाज में बदनामी के डर से उसके द्वारा चूहे मारने की दवाई खाकर अपनी जिंदगी को खत्म करने का प्रयास किया। जिस पर उसका घर पर ही इलाज चला। मम्मी के बार–बार पूछने पर उन्हें रो–रोकर सारी बात बता दी। मम्मी ने उसकी सारी बाते सुनकर थाने पर रिपोर्ट दर्ज करा दी। उसका चिकित्सीय परीक्षण हुआ और अदालत में भी पुलिस द्वारा बयान कराया गया था। न्यायालय की अनुमति पर एक सीलबंद लिफाफा खोला गया। सीलबंद लिफाफे से प्राप्त बयान को सांक्षी को पढ़कर सुनाया गया। पीडिता ने कहा कि उसने न्यायालय के समक्ष बयान दिया था, यह वही बयान है, इस पर उसके हस्ताक्षर है तथा उसका फोटो भी लगा हुआ है। पत्रावली पर बयान अंतर्गत धारा 164 द०प्र०सं० के बयान पर **प्रदर्श क–2** डाला गया। उसने दरोगाजी को सारी बात बता दी थी।

बचाव पक्ष की ओर से इस साक्षी से प्रतिपरीक्षा की गयी। प्रतिपरीक्षा में साक्षी ने कथन किया कि दिसम्बर, 2014 में उसकी पहली बार कपिल से मुलाकात हुई थी। उसके मकान व कपिल के मकान की दूरी एक–डेढ़ किलोमीटर है। उसकी मम्मी ने जो तहरीर थाने पर दी थी, वह उसके कहे अनुसार दी थी। पहली बार मम्मी ने दिनांक 17.05.2016 को थाने पर दी थी। घटना दिनांक 30.10.2015 को हुई थी। यह भी कथन किया है कि जब दिंनाक 25.04.2016 को उसने चूहे मारने की दवा खा ली थी, उस समय भी यह घटना वाली बात उसने अपनी मम्मी को बतायी थी, तब उसने या मम्मी ने थाने पर कोई तहरीर नहीं दी थी। चूहे मारने की दवा खाने पर जब उसकी मम्मी ने कारण पूछा तो कपिल व मोनू द्वारा टार्चर करके अपने साथ गन्दा काम करने वाली बात बतायी थी। चूहे मारने की दवा खाने पर इलाज उसने घर पर ही कराया, अब उसे पता नहीं है। **उसे पता है कि आत्महत्या अपराध है। कपिल से उसकी मुलाकात उसके लोकवाणी केन्द्र पर दिनांक 26.12.2014 में प्रथम बार हुई थी, जब वह प्रमाण पत्र बनवाने आया था।** उसके यहां लोकवाणी केन्द्र 2014 से चल रहा है। उसके परिवार में चार बहन, माता–पिता, दो भाई एक साथ रहते हैं। वह अपने पिता से लगभग 5 वर्ष पहले मिली थी। कपिल लोकवाणी केन्द्र पर कभी भी प्रमाण पत्र

बनवाने आ जाता था। **अंतिम मुलाकात कपिल से 21.01.2015 को लोकवाणी केन्द्र पर हुई थी। उसकी स्थिति उस समय खराब थी, इसलिये यह बात तहरीर में नहीं लिखी।** ....मुलजिम अपने मौसा नरेन्द्र के साथ खुद उसकी माताजी के पास शादी का प्रस्ताव लेकर आया था। उन लोगों ने आदित्य का बायोडाटा दिया था, जिस पर उसका एक फोटो लगा था। उसके परिवार को कोई व्यक्ति आदित्य को देखने नहीं गया था। उसके परिवार व माता–पिता ने कई बार आदित्य से मुलाकात कर बात चलाने की कोशिश किया, लेकिन कपिल आना–कानी करके टाल देता था। **जिस आदित्य का नम्बर बायोडाटा पर लिखा था, उसी नम्बर से उसे मैसेज आते थे, वह नम्बर आज याद नहीं है। वह मैसेज उसने पढ़े थे, मैसेज अश्लील होते थे। उसने सारे मैसेज विवेचक को दिये थे।** यह भी साक्ष्य दिया है कि कपिल से उसकी माताजी से दिल्ली में अल्पआय वर्ग के फ्लैट दिलाने की बात किया था। कपिल ने उनके अलावा 25–30 और लोगों को भी फ्लैट दिलाने का आश्वासन दिया था, कितने लोगों से 8,000/–रूपये व कितने लोगों से 20,000/–रू0 के हिसाब से लिया, अब उसे याद नहीं है। उसने अपने बयान में अंदाजे से बारह लाख रूपया बताया था। कपिल ने कुछ लोगों को रसीदें दी थी। उसकी माताजी को भी रसीद दिया था। रसीद उसने देखी थी। विवेचक को दे दया था। वह मकान देखने दिल्ली नहीं गयी थी। अगर विवेचक ने वे रसीदें पत्रावली पर दाखिल नहीं किये तो वह उसकी वजह नहीं बता सकती। .... पृष्ठ–5 पर कथन किया है कि **कपिल से अंतिम बार उसकी मुलाकात दिनांक 30. 10.2015 को उसके घर पर हुई थी। कपिल ने उसे फोन करके बुलाया था। वह उसके घर लगभग 6–7 बजे शाम पहुंची थी।** वह कपिल के परिवार में व्यक्तिगत रूप से किसी को नहीं जानती। वह कपिल की बड़ी बहन से तब मिली, जब उसने आदित्य का बायोडाटा उसकी मॉ को देकर परिचय कराया था। **कपिल की छोटी बहन की शादी में वह, कपिल की मॉ, बहन–बहनोई और अन्य रिश्तेदारो से मिली थी। उसकी मॉ ने जिन लोगो के खिलाफ मुकदमा लिखाया है, उनके नाम–पते आदि के बारे में पहले से कुछ पता नहीं था। उसी शादी में मुलजिमान के बारे में जानकारी मिली थी। कपिल के अतिरिक्त अन्य पांच मुलजिमान से भी आखिरी बार मुलाकात कपिल के साथ ही 30.10.2015 को ही हुई थी। उस तारीख के बाद उसने कभी कपिल को फोन नहीं किया और ना ही मैसेज भेजा। उसने जो अश्लील मैसेज व बाते करने का बयान दिया है, वह 30.10.2015 के पहले व बाद में दोनों समय की हैं। उसने मैसेज नहीं भेजे। उधर से नये–2 नम्बरो से मैसेज और कॉल आते रहते थे। उसका मोबाईल नं0–9837910116 है। पहले भी यही नम्बर उसके पास था। 20ख को देखकर साक्षी ने पृष्ठ–6 पर कहा कि यह मैसेज उसके नम्बर से ही भेजे गये**

हैं। उसने नहीं भेजे हैं। उस दौरान उसका मोबाईल गुम हो गया था। उसने मोबाईल गुम होने की दरखास्त थाना सदर पर दिया था, वह तहरीर फाई पर नहीं है। उसका मोबाईल वापस नहीं मिला था। उसने दूसरा सिम लेकर फिर वहीं नम्बर दोबारा चालू कराया, कब कराया था, इस समय याद नहीं है बहुत पुरानी बात हो गयी है। दिंनाक 20.05.2016 को उसका मोबाईल उसके पास नहीं था। उसने अलग से दरखास्त देकर सिम नहीं बंद कराया था। सिम गायब होने के करीब 15–20 दिन बाद दूसरा सिम मिला था। इस गुमशुदगी के दौरान उसका नम्बर लगातार चालू रहा और उस पर घंटी जाती थी। **अग्रेतर पत्रावली पर सूची 16क से प्रस्तुत फोटो देखकर साक्षी ने कहा कि यह फोटो फर्जी बनाये गये हैं, वह किसी के पैर नहीं छू रही है। एनेक्सचर 1/4 वाली फोटो में बीच में खड़े व्यक्ति का नाम मोनू सागर है। फोटो में दिखायी गयी सिन्दूर, मंगलसूत्र वगैरह सभी झूठे हैं। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि आज उसके माथे पर जो बिन्दी लगी है, वह शादी का सूचक हो। यह बिन्दी वह बचपन से लगाती है। यह चन्दन का टीका है। एनेक्सचर 1/17 देखकर कहा कि मिठाई खिलाते हुऐ उसे फोटो किसका है, उसे नहीं पता। दिंनाक 30.10.2015 को उसे फोन पर कपिल की बहन सरिता ने बुलाया था।** अग्रेतर साक्षी ने कथन किया कि दिंनाक 15.02.1016 को वह कपिल के साथ डाक्टरी मुआयने के लिये पल्लवपुरम कोटपाल हास्पिटल नहीं गयी थी। दिनांक 30.10.2015 की घटना के लगभग 5–6 माह बाद उसकी माताजी थाने पर गयी। वह उस समय शारीरिक व मानसिक रूप से परेशान थी, इसीलिये खुद करने नहीं गयी। अग्रेतर साक्षी ने पृष्ठ–7 पर कथन किया है कि दिनांक 05.05.2016 और उसके बाद उसने मोबाईल से साईबर सेल में शिकायत किया था। डी0आई0जी0 साहब के यहां दरखास्त दिया, तब मुकदमा लिखा गया। **रिपोर्ट लिखने के बाद पुलिस ने मेरा मेडिकल कराया था। दिंनाक 30.10.2015 को घटना केसमय पहने कपडे पुलिस ने मांगा नहीं और उसने दिये नहीं। कोल्डड्रिंक लगभग सवा सात बजे शाम को उसे पिलाया गया, तब रात के करीब डेढ़–दो बजे उसे होश आया। वह अपनी मॉ को बताकर कपिल के घर आयी थी। उसकी बेहोशी के दौरान उसके साथ घटना घटी और उसकी वीडियो बनायी गयी। जब उसकी ऑख खुली ,तब उसके शरीर पर कोई कपड़ा नहीं था और उसे महसूस हुआ कि उसके साथ बलात्कार हुआ है। उसे वीडियो दिखाया था। उसे वीडियो को वायरल किया था या नहीं, उसे जानकारी नहीं है। वीडियो वायरल करने की धमकी जरूर दिया था। वीडियो करीब 15–20 मिनट की रही होगी।** होश में आने के बाद वह चीखी–चिल्लाई, उसने अपने कपड़े पहने और बाहर आ गया। दरवाजा अंदर से बंद था। उसने खोला था। उस वीडियो में कोई

हथियार नहीं दिखा, बस मनोज सागर व कपिल को देखा, जो उसके साथ दुराचार कर रहे थे। **वहां से निकल कर वह रेलवे लाईन पर आत्महत्या के लिये चली गयी थी। चूंकि परिजनो को यह पता था कि वह कपिल के यहां से होकर अपने मामा के घर जायेगी, किसी ने उसे तलाश करने की कोशिश नहीं किया। वह अगले दिन 31.10.2015 को दिन के 12:00–1:00 बजे के लगभग अपने घर पहुंची थी। उसने मुलजिमान की धमकी के डर से उस दिन घटना के बावत अपने परिजनो को कुछ नहीं बताया था। अग्रेतर कथन किया है कि पुलिस ने मुलजिमान से वीडियो कब्जे में लिया या नहीं, वह नहीं बता सकती।** अग्रेतर पृष्ठ–8 में कथन किया है कि **उसने डाक्टर को परीक्षण के दौरान जांच करने से मना नहीं किया था। उस दिन वह जांच कराने के लिये गयी थी,तब डाक्टर ने स्वंय हस्ताक्षर कराकर छोड़ दिया था, क्या लिखा, उसे नहीं मालूम।** विवेचक ने उसकी उस ....के बारे में न तो पूछा और न उसने बताया। डाक्टर ने ऐसा क्यों लिखा, वह उसकी वजह नहीं बता सकती। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि उसके साथ कोई घटना नहीं हुई थी, इसलिये उसने अपना मेडिकल परीक्षण नहीं कराया था। **उसका मेडिकल दो बार हुआ था। उसने मजिस्ट्रेट साहब को बयान में बता दिया था कि कपिल की बहन ने लिमका दिया था। यदि उसके बयान में यह बात नहीं लिखी है, तो वह इसकी वजह नहीं बता सकती। उसने अपने 164 सी.आर.पी.सी. के बयान में सुबह ऑख खुलने वाली बात कही थी, वह गलत है। सा**क्षी ने इस सुझाव से भी इंकार किया है कि वह कपिल की व्याहता पत्नि है तथा मुलजिमान से पैसे हडपने की गरज से झूठा व फर्जी मुकदमा चलाया है तथा उसकी कपिल से शादी हुई हो तथा पत्रावली पर दाखिल फोटो उसकी शादी के सही फोटो हो तथा दिंनाक 30.10.1015 को उसके साथ कोई घटना ना हुई हो।

<u>13स–</u> अभियोजन साक्षी **पी0डब्लू0–3 डा0 श्रीमती रंजू कुमार** ने अपने बयान की मुख्य परीक्षा में **चिकित्सीय रिपोर्ट प्रदर्श क–3** को साबित करते हुऐ कथन किया है कि दिंनाक 04.6.2016 को वह वरिष्ठ परामर्शदाता जिला महिला चिकित्सालय, मेरठ में तैनात थी। उस दिन 4.30 बजे पी0एम0 पर उसके द्वारा पीडिता उम्र 38 वर्ष परीक्षण के लिये आयी थी, जिसे महिला आरक्षी प्रीति यादव लेकर आयी थी और पहचान की थी। पीड़िता ने अपना चिकित्सीय परीक्षण कराने से मना कर दिया तथा सैम्पिल कलेक्शन के लिये भी असहमति की थी तथा रिपोर्ट पर उसने अपने हस्तलेख में घटना 6 माह पहले की होने के कारण अन्दरूनी जांच कराने को मना किया था तथा अपने हस्ताक्षर किये थे। उक्त रिपोर्ट उसने अपने लेख व हस्ताक्षर में तैयार की थी, जो आज उसके सामने है। इस पर **प्रदर्श क–3** डाला गया।

इस साक्षी से अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रतिपरीक्षा की गयी। प्रतिपरीक्षा में साक्षी ने कथन किया है कि उसे नहीं मालूम कि पीडिता ने अन्दरूनी जांच कराने के लिये क्यों मना किया था। पीडिता होश में थी, कोई अक्षमता नहीं थी। उसके सामने रिपोर्ट पर पीडिता ने घटना 6 महीने पहले होने के कारण वह अपनी अन्दरूनी जांच नहीं कराना चाहती, उसके सामने लिखा गया था। पीडिता ने उसके सामने उस पर अपने हस्ताक्षर किये थे, जिसे उसने प्रमाणित किया था तथा उसके सामने ही महिला का0 प्रीति यादव ने भी हस्ताक्षर किये थे। साक्षी ने स्वीकार किया है कि उसने पीडिता का कोई मेडिकल परीक्षण नहीं किया।

<u>13द–</u> अभियोजन साक्षी **पी0डब्लू0–4 डा0 ईशा सोनी** ने अपने बयान की मुख्य परीक्षा में **चिकित्सीय रिपोर्ट प्रदर्श क–4 व पूरक चिकित्सीय रिपोर्ट प्रदर्शक–5** साबित करते हुऐ कथन किया है कि दिनांक 02.7.2016 को वह महिला चिकित्साधिकारी, जिला महिला चिकित्सालय, में तैनात थी। उस दिन उसने पीडिता 01.05 बजे पी0एम0 दिन परीक्षण के लिये आयी थी, का चिकित्सीय परीक्षण किया था, जिसमें पीडिता ने परीक्षण हेतु अपनी सहमति दी थी। उसके हस्ताक्षर लिये गये। पीडिता ने अपने साथ दिनांक 30.10.2015 को शाम 6.45 बजे घटना होना बताया था जो 6 महीने पहे होना बताया था। पीडिता ने उसे अपना बयान जो दिया था, वह उसने रिपोर्ट पर अंकित किया है। उसने अपना बयान इस प्रकार दिया कि '' उसका घर नूरनगर में है। उसके घर पर ही ऑफिस है। ऑफिस के काम से कपिल आया था फिर वह धीरे–धीरे ऑफिस के काम से आने लगा। फिर धीरे–धीरे उसके घर मम्मी के पास आने लगा। फिर उसने रिस्ते के बारे में उसकी मम्मी से व घरवालो से पांच लाख रूपये ले लिया और घरवालो को कहा कि वह रिस्ता करा देगा। एक दिन उसकी बहन का शाम को उसके पास फोन आया और पैसे का इंतजाम हो गया है, ले जाओ। फिर वह उसके घर गयी। वहां पर कपिल और उसकी बहन मौजूद थी। उन्होनें उसे कोल्डड्रिंक पिलाई और वह बेहोश हो गयी। जब होश आया तो उसके पैर से और नीचे के रास्ते में दर्द हो रहा था। फिर उन्होनें उसे वीडियो दिखायी, उसमें कपिल और उसके जीजा मोनू सागर थे, जो उसके साथ रेप कर रहे थे।'' ये भी कथन किया है कि पीडिता के कोई ताजा चोट नहीं थी। यह उसका द्वितीय परीक्षण था। हाईमन झिल्ली पुरानी फटी हुई तथा पुनः जुडी हुई थी। उसके द्वारा वैजाईना स्लाईड बनायी गयी। पैथालॉजि में प्राप्त होने के बाद उसके द्वारा पूरक रिपोर्ट तैयार की गयी। **इसके अनुसार उसकी राय में वैजाईना में कोई पेनीटेशन नहीं पाया गया। स्लाईड में कोई शुकाणु नहीं पाये गये।** चिकित्सा रिपोर्ट वरवक्त मुआयना उसके द्वारा तैयार की गयी थी जो आज उसके सामने है, उसके लेख व हस्ताक्षर में है। इस पर प्रदर्शक–4 डाला गया। पूरक रिपोर्ट उसके द्वारा दिनांक 08.07.

2016 को तैयार की गयी जो आज उसके सामने है, उसके लेख व हस्ताक्षर में है। इस पर प्रदर्श क–5 डाला गया।

इस साक्षी से अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रतिपरीक्षा की गयी। प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि पीडिता दिंनाक 04.6.2016 को मेडिकल के लिये गयी थी तथा दिंनाक 02.7.2016 को भी मेडिकल कराने आयी थी। पुलिस के साथ आयी थी। दिंनाक 04.6.2016 को आने की बात उसे पीडिता से ही पता चली थी। जब पीडिता ने दिंनाक 04.6.2016 को मेडिकल होना बताया था ,तब उसने दिनांक 04.6.2016 के मेडिकल को नहीं देखा। बिना मीमो देखे वह नहीं बता सकती कि उसमें पुलिस वालो ने उसका दूसरा मेडिकल लिख कर भेजा था या नहीं। पीडिता के शरीर पर किसी पार्ट पर चोट के निशान नहीं थे। मेडिकल प्रदर्श क–4 में उसने बयान लिखा है ,पीडिता के बोलने पर लिखा है। **घटना के समय जो कपड़े पहने थे, वह भी उसे नहीं दिखाये थे न बताया था। कपड़ो का विवरण उसने चिकित्सीय रिपोर्ट में अंकित किया है। घटना के समय उसने क्या कपड़े पहन रखे थे, उसे नहीं पता। उसके परीक्षण में बलात्कार होने की पुष्टि नहीं है, उसकी राय है।**

13य– अभियोजन की ओर से साक्षी **पी0डब्लू0–5 डा0 प्रमिला गौड** को परीक्षित कराया गया है। इस साक्षी ने मुख्य परीक्षा में **पैथोलॉजि रिपोर्ट प्रदर्श क–6** को साबित करते हुऐ कथन किया है कि दिंनाक 02.07.2016 को मैं जिला महिला चिकित्सालय मेरठ में पैथोलोजिस्ट के पद पर तैनात थी। उस दिन मैने सविता पुत्री चन्द्रभान निवासी 102 नूर नगर लिसाडीगेट मेरठ थाना ब्रहमपुरी के वैजाईनल स्पर्म की स्लाईड एक सील बंद लिफाफे में प्राप्त की जो मेरे पास महिला कां. निकुंज चौधरी के द्वारा लाई गई थी। महिला चिकित्साधिकारी महिला चिकित्सालय मेरठ में स्लाईड शुक्राणु की मौजूदगी जानने के लिए मेरे पास भेजी थी। मेरे द्वारा माईक्रो स्कोप द्वारा वैजाईनल स्पर्म का परीक्षण किया गया। परीक्षण उपरान्त मेरे द्वारा पैथोलाजी की रिपोर्ट कागज संख्या 9अ/7 तैयार की गई। जिस पर प्रदर्श क–6 डाला गया। **स्लाईड के माईको स्कोपिक परीक्षण के दौरान पीडिता के योनि श्राव में कोई शुकाणू नहीं पाये गये।**

अभियुक्त की ओर से की गयी प्रतिपरीक्षा में साक्षी ने कथन किया है कि उसके परीक्षण में कोई शुक्राणु नहीं पाये गये। दिनांक 02.07.2016 को उसके पास निकुंज चौधरी द्वारा पडिता की स्लाईड लायी गयी थी।उसने उसी दिन परीक्षण किया। परीक्षण माईक्रोस्कोप से करते हैं। **साक्षी ने स्वीकार किया है कि स्लाईड में कोई शुकाणु नहीं पाये गये।**

13ग– अभियोजन साक्षी **पी0डब्लू0–6 हे0का0 अमित कुमार** ने अपने बयान की मुख्य परीक्षा में **चिक एफ0आई0आर0 प्रदर्श क–7** को साबित करते हुऐ कथन किया है कि दिनांक 20.05.2016 को मुझे थानाध्यक्ष महोदय के डाक पैड से तीन किता टाईपशुदा छाया प्रति एवं तहरीर जिस पर एस.ओ. महोदय का आदेश मुकदमा पंजीकृत करने के लिए था प्राप्त हुआ। जिस पर मेरे द्वारा कम्प्यूटर पर तैनात कां. नितिन से बोल बोलकर तहरीर के आधार पर मैने टाईप करायी थी। उक्त टाईशुदा एफ.आई.आर. पत्रावली पर कागज संख्या 4अ/1 ता 3 के रूप में संलग्न है जिस पर थाने की मोहर है और प्रभारी के हस्ताक्षर है एवं सांकेतिक हस्ताक्षर मेरे भी किये हुए हैं। जिसे मैं तस्दीक करता हूँ। जिस पर प्रदर्श क–7 डाला गया एवं मेरे द्वारा ही कायमी दर्ज करी गयी। जिसकी कार्बन प्रति पत्रावली पर कागज संख्या 5अ/1 के रूप में संलग्न है जिसे सत्यापित करता हूॅ और जी.डी. नष्टीकरण की रिपोर्ट साथ लेकर आया हूँ। जिसे पत्रावली पर प्रस्तुत कर रहा हूँ।

अभियुक्त की ओर से इस साक्षी से प्रतिपरीक्षा की गयी। प्रतिपरीक्षा में साक्षी ने कथन किया है कि एस0ओ0 साहब के आदेश पर मुकदमा कायम हुआ था जो उसने किया था। जो प्रार्थना पत्र पत्रावली पर प्रदर्शक–1 है, उस पर श्रीमान डी0आई0जी0 महोदय, मेरठ परिक्षेत्र, मेरठ अंकित है। लेकिन उस प्रार्थना पत्र पर डी0आई0जी0 साहब या एस0ओ0 ब्रहमपुरी को मुकदमा दर्ज करने का आदेश है, लेकिन पत्रावली पर डी0आई0जी0 साहब का मूल प्रार्थना पत्र पर व मूल प्रार्थना पत्र पर किये गये मूल आदेश वाली प्रति नहीं है, छाया प्रति है। **साक्षी ने स्वीकार किया है कि तहरीर पर ओमवीरी देवी का निशानी अगूंठा लगा है, लेकिन निशानी अगूंठा पर हाथ से नाम नहीं लिखा है और प्रार्थना पत्र पर दिं0 175.2016 हाथ से अंकित है।** डी0आई0जी0 साहब के द्वारा एस0ओ0 ब्रहमपुरी को मुकदमा दर्ज करने के आदेश पर तारीख अंकित नहीं है। उसने मुकदमा दर्ज करते समय डी0आई0जी0 साहब के आदेश का चिक में उल्लेख नहीं किया है ,जो सहवन रह गया है।

13ग– अभियोजन साक्षी **पी0डब्लू0–7 विपिन कुमार** ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि मैं दिनांक 20.05.2016 को थाना ब्रहमपुरी पर तैनात था। दिनांक 20.05. 2016 को ही मुझे मु.अ.सं. 196/2016 की विवेचना सुपुर्द की गयी। मैने दिनांक 20.05.2016 को ही विवेचना ग्रहण कर एफ.आई.आर. नकल, चिक और बयान एफ.आई.आर. लेखक अंकित किये गये। मुकदमा उपरोक्त में आई.टी. एक्ट होने के कारण विवेचना स्थानान्तरित करने हेतु एक रिपोर्ट उच्चाधिकारियों को प्रेषित की गई।

बचाव पक्ष की ओर से की गयी प्रतिपरीक्षा में साक्षी ने कथन किया है कि दिनांक 17.05.2016 का एक प्रार्थना पत्र मुकदमा वादनीने डी.आई.जी. को सम्बोधित करते हुऐ प्रेषित किया। उस प्रार्थना पत्र पर एस0ओ ब्रहमपुरी के लिये एफ0आई0आर0 दर्ज करने का

निर्देश है, जिस पर अपठित हस्ताक्षर हैं। उस प्रार्थना पत्र पर एस0ओ0 ब्रहमपुरी द्वारा एच.एम. ब्रहमपुरी को अभियोग पंजीकृत करने का आदेश है, जिस पर हस्ताक्षर हैं। यह आदेश मूल है लेकिन प्रार्थना पत्र की फोटो प्रति है, जिस पर डी0आई0जी0 के आदेश की भी छाा प्रति है।

13ल– अभियोजन साक्षी **पी0डब्लू0–8 का0 अर्जुन सिंह** ने बयान की मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 24.10.2016 को दौरान अपराध शाखा मेरठ में बतौर कां. नियुक्त था। अपनी नियुक्ति के दौरान निरीक्षक स्व. श्री ब्रजेश कुमार सिंह के साथ कई बार मुझे काम करने का मौका मिला था और उनके साथ रहते हुए लिखते व पढते हुए देखा था। इस नाते उनके लेख व हस्ताक्षर को पहचानता हूॅ। पत्रावली पर संलग्न कागज संख्या 3अ/1 के लेख व पृष्ठ भाग पर किये हस्ताक्षर को मैं पहचानता हूॅ। यह निरीक्षक स्व. श्री ब्रजेश सिंह जी के हैं। तस्दीक करता हूॅ। जिस पर **प्रदर्श क–8** अंकित किया जाता है एवं पत्रावली पर संलग्न कागज संख्या 13अ/1 **नक्शा नजरी** है इस पर हस्ताक्षर व लेख को पहचानता हूॅ। यह स्व. श्री ब्रजेश सिंह निरीक्षक के है जिस पर **प्रदर्श क–9** अंकित किया गया।

दौरान प्रतिपरीक्षा साक्षी ने कथन किया है कि मरने वाले निरीक्षक का नाम ब्रजेश कुमार था। वह केवल उनके साथ अपराध शाखा में हमराही के तौर पर रहा था। सी0डी0 के पर्चे उसके सामने बैठकर काटते थे। उसे नहीं पता काटे गये पर्चे का तस्करा जी0डी0 में है या नहं। वह आज ऐसा कोई पर्चासाथ लेकर नहीं आया कि जिससे साबित होता कि वह उसने उनके साथ कार्य किया है। उसे यह जानकारी नहीं है कि केस डायरी के पर्चो पर थाना प्रभारी व सी0ओ0 साहब ने उसके सामने हस्ताक्षर किये हो। ये भी कथन किया है कि इस केस के किसी पर्चे पर मृतक विवेचक ब्रजेश कुमार ने उसके सामने हस्ताक्षर नही किये किन्तु उसने उन्हें लिखते–पढ़ते व हस्ताक्षर करते हुऐ देखा है।

13व– अभियोजन साक्षी **पी0डब्लू0–9 एस0आई0 अमृता सिंह** ने अपने बयान की मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि वह दिनांक 04.06.2016 को महिला थाना मेरठ में नियुक्त थी। उसकी डयूटी उस दिन पीडिताओं के 161 दं.प्र.सं. के बयान लिखने पर लगी हुई थी। उस दिन प्रभारी निरीक्षक ब्रजेश कुमार सिंह अपराध शाखा मेरठ मु.अ.सं. 196/2016 धारा 420,376डी,328,506 भा.दं.सं. व 67 आई.टी. एक्ट के संबंध में वादिया/पीडिता पुत्री श्री चन्द्रभान निवासी 102 नूर नगर लिसाडी रोड थाना ब्रहमपुरी को बयान 161 दं.प्र.सं. कराने हेतु लाया गया था। पीडिता के बयान उसे उपनिरीक्षक द्वारा उसके बोलने व कहने के अनुसार अंकित किये गये। बयान पत्रावली पर कागज संख्या 7अ के रूप में संलग्न है जो उसके लेख व हस्ताक्षर में है। जिसे वह प्रमाणित करती है।

बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा साक्षी से प्रतिपरीक्षा की गयी। प्रतिपरीक्षा में साक्षी ने कथन किया है कि पीडिता का बयान थाने पर ही हुआ थ। उसने वीडियो नहीं

बनायी थी, लेकिन ब्रहमपुरी पुलिस के साथ आयी महिला कॉस्टेबल ने वीडियो बनायी थी। उसे यह कनर्फम नहीं है कि वीडियो बनायी थी या नहीं। साक्षी ने स्वीकार किया है कि धारा 161 दं0प्र0सं0 के बयान में कुछ जगह ओवर राईटिंगहै। पेज'2 पर ग्याहरवी लाईन में ''पच्चीस–तीस हजार लिखा है फिर बाद में काटा गया है।'' कटिंग जहां जहां की गयी है, वहां मेरे इनिशियल नहीं है। पेज–3 पर कपिल का जीजा मनोज अंकित किया था फिर पीडिता के बताये अनुसार मोनू किया था।

14. प्रकरण में अभियुक्त के विरूद्ध भा0दं0सं0 की धारा 406, 420, 328, 506, 376 भा0दं0सं0 एंव धारा–67 सूचना प्रोद्योगिकी अधिनियम के तहत आरोप लगाया गया है प्रकरण पीडिता से बलात्कार से सम्बन्धित है। अतः इस सम्बन्ध में सभी सुसंगत प्रावधानो का उल्लेख करना समीचीन होगा।

15– **<u>–: तार्किक विश्लेषण :–</u>**

अभियोजन की ओर से दिये गये तर्कों के परिप्रेक्ष्य में मेरे द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध अभियोजन साक्षीगण की साक्ष्य तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य का तार्किक विश्लेषण किया गया।

<u>निस्तारण विनिश्चय बिन्दु संख्या–1 एंव 2 :–</u> विनिश्चायक बिन्दु संख्या–1 इस आशय से विरचित किया गया है कि क्या अभियुक्त के द्वारा वादनी मुकदमा की पुत्री/पीडिता को दिंनाक 30.10.2015 को रूपये लेने के बहाने अपने घर बुलाया और उसे कोल्डड्रिंक पिलाई, जिससे वह बेहोश हो गयी और उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक सम्बन्ध बनाये तथा अश्लील वीडियो बनाया और उनको इन्टरनेट पर डालकर बदनाम करने की धमकी दी व जान से मारने की धमकी दी तथा बाद में भी शारीरिक सम्बन्ध बनाये ? विनिश्चय विन्दु संख्या–2 इस आशय से विरचित किया गया है कि क्या अभियुक्त द्वारा वादी मुकदमा एंव रिश्तेदारो विकलांग व विधवाओ से करीब बारह लाख रूपये निर्वल वर्ग आवास आवंटन हेतु धोखाधडी से प्राप्त किये तथा मांगने पर भी वापस नहीं किये?

16– उपरोक्त दोनों विश्चियाक बिन्दुओ का निस्तारण सुविधा की दृष्टि से एक साथ किया जा रहा है।

17– माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विधि व्यवस्था **बाबूराम आदि बनाम पंजाब राज्य (2008)–2 एस0सी0सी0 किमिनल 727** में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि अभियोजन पक्ष को अभियुक्त के विरूद्ध अभियोजन कथानक को सन्देह से परे साबित करना होगा, अन्यथा अभियुक्त सन्देह का लाभ पाने का अधिकारी होगा। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विधि व्यवस्था **रंग बहादुर सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य एंव अन्य ए0आई0आर0 2000 सुप्रीम कोर्ट 1209** में यह अवधारित किया है कि जब तक अभियोजन पक्ष उचित सन्देह से

परे अभियुक्त के अपराध को स्थापित नहीं करता है, तब तक अभियुक्त को दोष सिद्ध नहीं किया जा सकता। **सुखदेव सिंह बनाम बिहार राज्य, 1957 किमिनल लॉ जनरल 565 एस0सी0** में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह सिद्वान्त प्रतिपादित किया गया है कि, अभियोजन का यह कर्तव्य है कि, वह अपने मामले को निश्चितता से परे साबित करे।

18– जहां तक पीडिता को रूपये लेने के बहाने घर बुलाकर उसे नशीला पदार्थ पिलाकर जबरदस्ती बलात्कार करने, वीडियो बनाने व उन्हें वायरल करने का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में सर्व प्रथम तहरीर प्रदर्श क–1 का अवलोकन करना आवश्यक है, जिसमें उल्लेख किया गया है कि दिनांक 30.10.2015 को कपिल कुमार ने रूपये देने का बहाना बनाकर उसकी बेटी/पीडिता को अपने घर बुलाया, वहां उसके बहनोई प्रताप सिंह, मोनू सागर, सतीश, संजय मिले, जिन्होनें पीडिता को बहला–फुसला कर उसके फोटो खींचे तथा उसके बाद कोल्डड्रिंक पीने को दिया, जिसके बाद पीडिता बेहोश हो गयी तथा अगली सुबह उसे होश आया। इन लोगों ने पीडिता को धौंस दी कि तू कपिल कुमार की पत्नि बन चुकी है। यदि तूने इस बारे में कहीं जिक्र किया तो तेरा जीवन बर्बाद कर देंगें। इसके पश्चात् वे लोग रूपये देने के बहाने पीडिता को ब्लेकमेल करते रहे तथा इसी दौरान कपिल कुमार ने ब्लेकमेल कर अपने घरवालो व रिश्तेदारो के साथ पीडिता के कुछ फोटो भी खिचवाये और इन फोटों को इन्टरनेट पर डालकर पीडिता का जीवन बर्बाद करने की धमकी देकर कपिल कुमार व मोनू सागर ने कई बार उसकी बेटी/पीडिता के साथ जबरदस्ती यौन सम्बन्ध भी बनाये। उक्त कथन को साबित करने के लिये अभियोजन की ओर से पी0डब्लू0–1 वादनी मुकदमा श्रीमती ओमवीरी को परीक्षित कराया है, जिसने अपने बयान की मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिंनाक 30.10.2015 को कपिल ने पीडिता को रूपये वाप स करने के बहाने अपने घर बुलाया। कपिल के घर पर कपिल का बहनोई प्रताप सिंह, जिन्होने उसकी बेटी की वीडियो बनायी तथा कोल्डड्रिंक पिलाई, जिससे सविता बेहोश हो गयी और उसके बाद उसकी बेटी ने बताया कि उसके साथ बेहोशी की हालत में संजय, मोनू, कपिल व सतीश ने बलात्कार किया था। कपिल ने पीडता को बताया था कि अब तुम उसकी पत्नी बन गयी हो। कपिल ने सविता के साथ अपने रिश्तेदारो के साथ फोटो खिचवाये तथा धमकी दी कि फोटो नेट पर डाल दूंगा। कपिल व मोनू ने उसकी लडकी के साथ बलात्कार किया तथा अश्लील मैसेज करते तथा धमकी देते कि फोटो इंटरनेट पर डाल देंगें। जिरह में कथन किया है कि उसकी बेटी/पीडिता एडवोकेट है। पीडिता की शादी हुई ही नहीं है और इस सुझाव से इंकार किया है कि पीडिता की शादी कपिल से हुई है और वह जानबूझकर कानूनी सलाह से झूठ बोल रही है। ये भी कथन किया है कि **दिंनाक 30.10.2015 को वह अपनी लडकी/पीडिता के**

साथ नोएडा सेक्टर–35 में गयी थी। फिर कहॉ गयी थी, याद नहीं है। घटना के समय वह पीडिता के साथ नहीं थी। उसने घटना खुद से देखी भी नहीं थी। घ टना के बारे में उसे उसकी लडकी ने बतायी थी। कोल्डड्रिंक में दवा मिलाकर बेहोश करने व फोटो खींचने वाली बात उसकी लडकी ने दूसरे दिन बतायी थी। यह घटना दिंनाक 30.10.2015 की है या नहीं, वह नहीं जानती।.... दिन, तारीख व माह नहीं बता सकती। साक्षी ने स्वीकार किया है कि उसने घटना के 6–7 माह बाद पहली बार प्रार्थना पत्र दिया था। इस दौरान उसकी लडकी चुपचाप रहती थी। उसने आत्महत्या का प्रयास नहीं किया, चूहे मारने की दवा खा ली थी। ....साक्षी को पत्रावली पर संलग्न फोटोज दिखायी गयी, को देखकर कहा कि यह सभी फोटो जाली व फर्जी हैं।

यहां ये स्पष्ट करना आवश्यक है कि जब पीडिता ने अपनी मॉ को अपने साथ हुई कथित घटना के सम्बन्ध में घटना के अगले दिन अर्थात 31.10. 2015 को बता दिया था, तब घटना के 6–7 माह अर्थात दिंनाक 17.05.2016 को बिलम्ब से तहरीर देकर मुकदमा पंजीकृत क्यों कराया गया, बिलम्ब के सम्बन्ध में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। घटना दिनांक 30.10.2015 की बतायी गयी है और वादनी के कथनानुसार दिंनाक 30.10.2015 को वह अपनी लडकी पीडिता के साथ नोएडा सेक्टर–35 में जाना बताती है। पी0डब्लू0–1 ने ये भी कहा है कि उसके बाद वह फिर कहां गयी, उसे याद नहीं है। वादनी कथित घटना की चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है। उसने पीडिता के बताये अनुसार ही तहरीर प्रदर्श क–1 पुलिस उप महानिरीक्षक, मेरठ परिक्षेत्र ,मेरठ को कपिल कुमार, नरेन्द्र कुमार, प्रताप सिंह, मोनू सागर, संजय व सतीश को नामित करते हुऐ दिंनाक 17.05.2016 को दी, जिसके आधार पर यह मुकदमा 20.5.2016 को पंजीकृत किया गया।

19– साक्षी **पी0डब्लू0–2 पीडिता** ने अपने बयान की मुख्य परीक्षा में कथन किया ै कि 30 अक्टूबर, 2015 को कपिल की बड़ी बहन सरिता ने फोन करके उसे बुलाया और कहा कि कुछ पैसों का इंतजाम हो गया है, आकर ले जाओ।उसने माता जी से यह बताकर कि कपिल की बहन का रूपया लेने के लिये उसके पास फोन आया है। ....वह लगभग 7:00 बजे कपिल के घर गयी तो वहां पर कपिल की बहन सरिता मौजूद थी। कपिल के पिता चरन सिंह, कपिल का जीजा प्रताप सिंह, संजय, सतीश व मोनू सागर मौजूद थे। उसकी बहन सरिता ने उसे पीने के लिये कोल्डड्रिंक दी, जिसे पीकर वह बेहोश हो गयी। रात को करीब डेढ़–दो बजे उसे होश आया। वह बदहवास थी। वह रोयी चिल्लायी, चीखी और उसने काफी शोर शराबा किया। कुंडी अंदर से बंद थी। वह दरवाजा खोलकर बाहर आयी, उस समय

कपिल कमरे में था और उसके बदन पर कोई कपड़ा भी नहीं था। उसने बाहर आकर बहन सरिता व पिता चरन सिंह से सारी बात बतायी तो ये लोग उसके हाथ–पैर जोड़ने लगे और कपिल को बुला–भला कहा। कपिल ने उससे यह भी कहा कि उसने वीडियो फिल्म बनायी है और उसे वीडियो फिल्म दिखायी। वीडियो फिल्म में उसकी बेहोशी की हालत में कपिल व मोनू सागर ने उसकी इच्छा के विरूद्ध उसके साथ शारीरिक सम्बन्ध बना रहे थे। उन्होनें यह भी कहा कि यदि तूने किसी को यह बताया तो वीडियो फिल्म समाज में फैला देंगें। इस घटना के बाद भी वीडियो की आड़ में कपिल व मोनू सागर ने उसके साथ अश्लील सम्बन्ध बनाये। वह बदनामी की दर से चुप रही। दिंनाक 25.04.2016 को इनकी हरकतो से तंग आकर समाज में बदनामीके डर से उसके द्वारा चूहे मारने की दवाई खाकर अपनी जिन्दगी को खत्म करने का प्रयास किया, जिस पर उसका घर पर ही ईलाज चला। मम्मी के बार–बार पूछने पर उन्हें रो–रो कर सारी बात बता दी। मम्मी ने सारी बाते सुनकर थाने पर रिपोर्ट दर्ज करा दी। प्रतिपरीक्षा में साक्षी ने कथन किया कि दिसम्बर, 2014 में उसकी पहली बार कपिल से मुलाकात हुई थी। उसके मकान व कपिल के मकान की दूरी एक–डेढ़ किलोमीटर है। उसकी मम्मी ने जो तहरीर थाने पर दी थी, वह उसके कहे अनुसार दी थी। पहली बार मम्मी ने दिनांक 17.05.2016 को थाने पर दी थी। घटना दिनांक 30.10.2015 को हुई थी। यह भी कथन किया है कि जब दिंनाक 25.04.2016 को उसने चूहे मारने की दवा खा ली थी, उस समय भी यह घटना वाली बात उसने अपनी मम्मी को बतायी थी, तब उसने या मम्मी ने थाने पर कोई तहरीर नहीं दी थी। चूहे मारने की दवा खाने पर जब उसकी मम्मी ने कारण पूछा तो कपिल व मोनू द्वारा टार्चर करके अपने साथ गन्दा काम करने वाली बात बतायी थी। चूहे मारने की दवा खाने पर इलाज उसने घर पर ही कराया, अब उसे पता नहीं है। ....ये भी कथन किया है कि **कपिल से उसकी मुलाकात उसके लोकबाणी केन्द्र पर दिंनाक 26.12.2014 को प्रथम बार हुई थी ,जब वह प्रमाण पत्र बनवाने आया था। कपिल से अंतिम बार उसकी मुलाकात दिनांक 30.10.2015 को उसके घर पर हुई थी। कपिल ने उसे फोन करके बुलाया था। वह उसके घर लगभग 6–7 बजे शाम पहुंची थी।** वह कपिल के परिवार में व्यक्तिगत रूप से किसी को नहीं जानती। वह कपिल की बड़ी बहन से तब मिली, जब उसने आदित्य का बायोडाटा उसकी मॉ को देकर परिचय कराया था। **कपिल की छोटी बहन की शादी में वह, कपिल की मॉ, बहन–बहनोई और अन्य रिश्तेदारो से मिली थी। उसकी मॉ ने जिन लोगो के खिलाफ मुकदमा लिखाया है, उनके नाम–पते आदि के बारे में पहले से कुछ पता नहीं था। उसी शादी में मुलजिमान के बारे में जानकारी मिली थी। कपिल के अतिरिक्त अन्य पांच मुलजिमान से भी आखिरी बार मुलाकात कपिल के साथ ही 30.10.2015 को ही हुई**

थी। उस तारीख के बाद उसने कभी कपिल को फोन नहीं किया और ना ही मैसेज भेजा। उसने जो अश्लील मैसेज व बाते करने का बयान दिया है, वह 30.10.2015 के पहले व बाद में दोनों समय की हैं। उसने मैसेज नहीं भेजे। उधर से नये–2 नम्बरो से मैसेज और कॉल आते रहते थे। उसका मोबाईल नं0–9837910116 है। पहले भी यही नम्बर उसके पास था। 20ख को देखकर साक्षी ने पृष्ठ–6 पर कहा कि यह मैसेज उसके नम्बर से ही भेजे गये हैं। उसने नहीं भेजे हैं। उस दौरान उसका मोबाईल गुम हो गया था। उसने मोबाईल गुम होने की दरखास्त थाना सदर पर दिया था, वह तहरीर फाइर्ल पर नहीं है। उसका मोबाईल वापस नहीं मिला था। उसने दूसरा सिम लेकर फिर वहीं नम्बर दोबारा चालू कराया, कब कराया था, इस समय याद नहीं है बहुत पुरानी बात हो गयी है। दिंनाक 20.05.2016 को उसका मोबाईल उसके पास नहीं था। उसने अलग से दरखास्त देकर सिम नहीं बंद कराया था। सिम गायब होने के करीब 15–20 दिन बाद दूसरा सिम मिला था। इस गुमशुदगी के दौरान उसका नम्बर लगातार चालू रहा और उस पर घंटी जाती थी। **अग्रेतर पत्रावली पर सूची 16क से प्रस्तुत फोटो देखकर साक्षी ने कहा कि यह फोटो फर्जी बनाये गये हैं, वह किसी के पैर नहीं छू रही है। एनेक्सचर 1/4 वाली फोटो में बीच में खड़े व्यक्ति का नाम मोनू सागर है। फोटो में दिखायी गयी सिन्दूर, मंगलसूत्र वगैरह सभी झूठे हैं। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि आज उसके माथे पर जो बिन्दी लगी है, वह शादी का सूचक हो। यह बिन्दी वह बचपन से लगाती है। यह चन्दन का टीका है। एनेक्सचर 1/17 देखकर कहा कि मिठाई खिलाते हुऐ उसे फोटो किसका है, उसे नहीं पता। दिंनाक 30.10.2015 को उसे फोन पर कपिल की बहन सरिता ने बुलाया था।** अग्रेतर साक्षी ने कथन किया कि **दिंनाक 15.02.1016 को वह कपिल के साथ डाक्टरी मुआयने के लिये पल्लवपुरम कोटपाल हास्पिटल नहीं गयी थी।** दिनांक 30.10.2015 की घटना के लगभग 5–6 माह बाद उसकी माताजी थाने पर गयी। वह उस समय शारीरिक व मानसिक रूप से परेशान थी, इसीलिये खुद करने नहीं गयी। अग्रेतर साक्षी ने पृष्ठ–7 पर कथन किया है कि दिनांक 05.05.2016 और उसके बाद उसने मोबाईल से साईबर सेल में शिकायत किया था। डी0आई0जी0 साहब के यहां दरखास्त दिया, तब मुकदमा लिखा गया। **रिपोर्ट लिखने के बाद पुलिस ने मेरा मेडिकल कराया था। दिंनाक 30. 10.2015 को घटना केसमय पहने कपडे पुलिस ने मांगा नहीं और उसने दिये नहीं। कोल्डड्रिंक लगभग सवा सात बजे शाम को उसे पिलाया गया, तब रात के करीब डेढ़–दो बजे उसे होश आया। वह अपनी मॉ को बताकर कपिल के घर आयी थी। उसकी बेहोशी के दौरान उसके साथ घटना घटी और उसकी वीडियो बनायी गयी।**

जब उसकी ऑख खुली ,तब उसके शरीर पर कोई कपड़ा नहीं था और उसे महसूस हुआ कि उसके साथ बलात्कार हुआ है। उसे वीडियो दिखाया था। उसे वीडियो को वायरल किया था या नहीं, उसे जानकारी नहीं है। वीडियो वायरल करने की धमकी जरूर दिया था। वीडियो करीब 15–20 मिनट की रही होगी। होश में आने के बाद वह चीखी–चिल्लाई, उसने अपने कपड़े पहने और बाहर आ गया। दरवाजा अंदर से बंद था। उसने खोला था। उस वीडियो में कोई हथियार नहीं दिखा, बस मनोज सागर व कपिल को देखा, जो उसके साथ दुराचार कर रहे थे। वहां से निकल कर वह रेलवे लाईन पर आत्महत्या के लिये चली गयी थी। चूंकि परिजनो को यह पता था कि वह कपिल के यहां से होकर अपने मामा के घर जायेगी, किसी ने उसे तलाश करने की कोशिश नहीं किया। वह अगले दिन 31.10. 2015 को दिन के 12:00–1:00 बजे के लगभग अपने घर पहुंची थी। उसने मुलजिमान की धमकी के डर से उस दिन घटना के बावत अपने परिजनो को कुछ नहीं बताया था। अग्रेतर कथन किया है कि पुलिस ने मुलजिमान से वीडियो कब्जे में लिया या नहीं, वह नहीं बता सकती। अग्रेतर पृष्ठ–8 में कथन किया है कि **उसने डाक्टर को परीक्षण के दौरान जांच करने से मना नहीं किया था। उस दिन वह जांच कराने के लिये गयी थी,तब डाक्टर ने स्वंय हस्ताक्षर कराकर छोड़ दिया था, क्या लिखा, उसे नहीं मालूम।** विवेचक ने उसकी उस ....के बारे में न तो पूछा और न उसने बताया। डाक्टर ने ऐसा क्यों लिखा, वह उसकी वजह नहीं बता सकती। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि उसके साथ कोई घटना नहीं हुई थी, इसलिये उसने अपना मेडिकल परीक्षण नहीं कराया था। **उसका मेडिकल दो बार हुआ था। उसने मजिस्ट्रेट साहब को बयान में बता दिया था कि कपिल की बहन ने लिमका दिया था। यदि उसके बयान में यह बात नहीं लिखी है, तो वह इसकी वजह नहीं बता सकती। उसने अपने 164 सी.आर.पी.सी. के बयान में सुबह ऑख खुलने वाली बात कही थी, वह गलत है। साक्षी ने इस सुझाव से भी इंकार किया है कि वह कपिल की व्याहता पत्नि है तथा मुलजिमान से पैसे हडपने की गरज से झूठा व फर्जी मुकदमा चलाया है तथा उसकी कपिल से शादी हुई हो** तथा पत्रावली पर दाखिल फोटो उसकी शादी के सही फोटो हो तथा दिंनाक 30.10.1015 को उसके साथ कोई घटना ना हुई हो।

20– पीडिता के बयान अर्न्तगत धारा 164 दं0प्र0सं0 का अवलोकन किया, जिसमें पीडिता ने विद्वान मजिस्ट्रेट का दिये गये बयान में कथन किया है कि घटना की दिनांक 3010. 2023 को कपिल की बहन सरिता का फोन आया कि तुम कुछ पैसों का इंतजाम हो गया है ले जाओ। जब वह 7:00 बजे शाम इनके घर गये तो वहां पर इसके घर तीन–चार और लोग

थी थे। इन्होनें उसे लिमका पीने को दिया, जिसके बाद उसे होश नहीं रहा और सुबह उसकी आंख खुली तो उसके शरीर पर कपड़े नहीं थे ना ही कमरे में कपड़े थे। कपिल कमरे में ही था। उसने उससे कहा कि तू मेरी पत्नी बन चुकी है और किसी को कुछ बताया तो मेरी सारी क्लिपिंग उसने बना ली है, उसे फेस बुक, व्हाटसअप पर डालकर बदनाम कर दूगा। पीडिता ने अपने बयान अर्न्तगत धारा 164 दं0प्र0सं0 में प्रताप सिंह, संजय, सतीश कुमार, मोनूसागर का नाम नहीं लिया है बल्कि कहा है कि तीन–चार और लोक थे। जबकि साक्षी पी0डब्लू0–1 जो कि वादनी मुकदमा व पीडिता की मॉ है, ने अपने बयान में कथन किया है कि घटना की दिनांक 30.10.2015 को कपिल ने पीडिता को रूपये वापस करने के बहाने अपने घर बुलाया कपिल के घर पर कपिल का बहनोई प्रताप सिंह, मोनू सागर मौजूद मिले जिन्होनें उसकी बेटी की वीडियो बनायी तथा कोल्डड्रिंक पिलाई, जिससे सविता बेहोश हो और उसके बाद उसकी बेटी ने बताया कि उसके साथ बेहोशी की हालत में उसके साथ संजय, मोनू, कपिल, सतीश ने बलात्कार किया था। जबकि पीडिता ने अपने बयान में कथन किया है कि 30 अक्टूबर, 2015 को कपिल की बड़ी बहन सरिता ने फोन करके उसे बुलाया और कहा कि कुछ पैसों का इंतजाम हो गया है, आकर ले जाओ। .वह लगभग 7:00 बजे कपिल के घर गयी तो वहां पर कपिल की बहन सरिता मौजूद थी। कपिल के पिता चरनसिंह, कपिल का जीजा प्रताप सिंह, संजय सतीश व मोनू सागर मौजूद थे। उसकी बहन सरिता ने उसे पीने के लिये कोल्डड्रिंक दी, जिससे वह पीकर बेहोश हो गयी। रात को करीब डेढ़–दो बजे होश आया। वह बदहवाश थी, वह रोयी चिल्लायी, चीखी और उसने काफी शोर शराबा किया। कुंडी अंदर से बंद थी। वह दरवाजा खोलकर बाहर आयी ,उस समय कपिल कमरे में था और उसके बदन पर कोई कपड़ा नहीं था। उसने बाहर आकर बहन सरिता व पिता चरन सिंह से सारी बात बतायी तो ये लोग उसके हाथ–पैर जोड़ने लगे और कपिल को बुरा–भला कहा। उसे वीडियो फिल्म दिखायी। वीडियो फिल्म में उसकी बेहोशी की हालत में कपिल व मोनू सागर उसकी इच्छा के विरूद्ध उसके साथ शारीरिक सम्बन्ध बना रहे थे। **एक ओर से जहां वादनी मुकदमा अपने बयान में पीडिता के साथ संजय, मोनू, कपिल, सतीश बलात्कार करने व वीडियो बनाना कहती है तो वहीं दूसरी ओर पीडिता कपिल व मोनू सागर द्वारा बलात्कार करने, वीडियो बनाने व वीडियो वारयरल करने की धमकी देकर जान से मारने की धमकी देने की बात कह रही है। इसी प्रकार वादनी मुकदमा पी0डब्लू0–1 अपने बयान में कथन करती है कि घटना की दिनांक को कपिल ने पीडिता को रूपये वापस करने के बहाने अपने घर बुलाया। जबकि पीडिता ने अपने बयान में कथन किया है कि घ टना की दिनांक को कपिल की बडी बहन सरिता ने फोन करके उसे बुलाया और कहा कि कुछ पैसों का इंतजाम हो गया है, आकर ले जाओ। इसी प्रकार वादनी ने**

अपने बयान में कथन किया है कि कपिल के घर पर कपिल का बहनोई प्रताप सिंह व मोनू सागर मौजूद मिले,जिन्होने उसकी बेटी की वीडियो बनायी तथा कोल्डड्रिंक पिलायी। जबकि पीडिता ने अपने बयान में कथन किया है कि जब वह 7:00 बजे कपिल के घर गयी तो वहां पर कपिल की बहन सरिता , कपिल के पिता चरन सिंह, कपिल का जीजा प्रताप सिंह, संजय, सतीश व मोनू सागर मौजूद थे। उसकी बहन सरिता ने उसे पीने के लिये कोल्डड्रिंक दी, जिसे वह पीकर बेहोश हो गयी। इसी प्रकार पीडिता जहां एक ओर पीडिता अपने बयान में यह कथन करती है कि घटना दिंनाक30.10.2015 को हुई थी। जब दिनांक 25.04.2016 को उसने चूहे मारने की दवा खा ली थी, उस समयस भीयह घटना वाली बात उसने अपनी मम्मी को बतायी थी, तब उसने या मम्मी ने थाने पर कोई तहरीर नहीं दी थी। चूहे मारने की दवा खाने पर जब उसकी मम्मी ने कारण पूछा तो कपिल व मोनू द्वारा टार्चर करके अपने साथ गंदा काम करने वाली बात बतायी थी। जब कि वादनी पी0डब्लू0–1 ने अपने बयान में कथन किया है कि घटना के बारे में उसे उसकी लड़की ने बतायी थी। कोल्डड्रिंक में दवा मिलाकर बेहोश करने व फोटो खींचने वाली बात उसकी लडकी ने दूसरे दिन बतायी थी। घटना वाले दिन शाम को पीडिता चुपचाप थी, लेकिन बेहोश नहीं थी। यह घटना दिंनाक 30.10.2015 की है या नहीं, वह नहीं जानती। घटना का दिन ,तारीख समय व माह नहीं बता सकती। साक्षी पी0डब्लू0–1 ने अपने बयान में स्वीकार किया है कि उसने घटना के 6–7 माह बाद पहली बार प्रार्थना पत्र दिया था। इस दौरान उसकी लडकी चुपचाप रहती थी।उसने आत्महत्या का प्रयास नहीं किया, चूहे मारने की दवा खा ली थी। जबकि पीडिता ने अपने बयान में कथन किया है कि चूहे मारने की दवा खाने पर जब उसकी मम्मी ने कारण पूछा तो कपिल व मोनू द्वारा टार्चर करके अपने साथ गंदा काम करने वाली बात बतायी थी। चूहे मारने की दवा खाने पर ईलाज उसने घर पर ही कराया था, अब उसे पता नहीं है। यहां ये उल्लेखनीय है कि यदि कोई व्यक्ति आत्महत्या करने हेतु चूहे की दवा खा ले तो ऐसा सम्भव नहीं है कि उसका ईलाज घर पर बिना चिकित्सक के चले। यहां ये भी उल्लेखनीय है कि कोई व्यक्ति अगर चूहे की दवा खा ले तो उसे उल्टियां होगी और बिना अस्पताल में भर्ती कराये उसका ईलाज सम्भव नहीं है। पीडिता ने अपने बयान में कथन किया है कि उसे रात को करीब डेढ़–दो बजे होश आया। वह बदहवाश थी, वह रोयी चिल्लायी, चीखी और उसने काफी शोर शराबा किया। पत्रावली पर तथाकथित घटनास्थल का नक्शानजरी प्रदर्श क–9 संलग्न है, जिसके पश्चिम में

मकान कालू, पूरब में मकान जगदीश तथा दक्षिण में खडन्जा उसके दक्षिण में मकान सुन्दर व मकान उग्रसैन दर्शाये गये हैं तथा आबादी वाला क्षेत्र है। यदि वास्तव में घटनास्थल पर रात के डेढ–दो बजे पीडिता रोती, चिल्लाती, जोर–जोर से शोर मचाती, जैसा कि पीडिता का कथन है, यहां यह स्पष्ट करना उचित है कि रात्रि में शोर आसानी से सुनायी देता है क्योंकि रात्रि का समय सुनसान होता है, उस समय कोई शोरगुल भी नहीं होता है, अतः यह सम्भव नहीं है कि पीडिता के शोर मचाने पर आप–पडौस के मकान में रहने वाले व्यक्ति घटनास्थल पर मौके पर ना पहुंचे। पीडिता ने अपने बयान में यह भी कथन किया है कि अभियुक्त ने दिंनाक 30.10.2015 के उपरान्त भी उसके साथ शारीरिक सम्बन्ध बनाये, परन्तु किस तिथि, किस समय शारीरिक सम्बन्ध बनाये, इस सम्बन्ध में कोई कथन नहीं किया है। यदि पीडिता के साथ घटना के बाद भी अभियुक्त द्वारा शारीरिक सम्बन्ध बनाये थे तो उसके सम्बन्ध में पीडिता ने सम्बन्धित पुलिस थाना या उच्चाधिकारियो को शिकायत क्यों नहीं की, इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है।

21– पुलिस द्वारा पीड़िता को चिकित्सीय परीक्षण हेतु दो बार जिला महिला चिकित्सालय लाया गया। डाक्टर श्रीमती रंजू कुमार ने अपने बयान में कथन किया है कि दिनांक 04.6.2016 को समय 4:30 बजे पी0एम0. पीडिता उसके पास परीक्षण के लिये आयी थी। **पीडिता ने अपना चिकित्सीय परीक्षण कराने से मना कर दिया तथा सैम्पिल कलेक्शन के लिये भी असहमति की तथा रिपोर्ट पर उसने अपने हस्तलेख में घटना 6 माह पहले की होने के कारण अन्दरूनी जांच कराने को मना किया था तथा स्वीकार किया है कि उसने पीडिता का कोई मेडिकल परीक्षण नहीं किया।** डा0 ईशा सोनी पी0डब्लू0–4 ने अपने बयान में कथन किया है कि दिंनाक 02.07.2016 को समय 01:05 बजे पी0एम0 दिन परीक्षण के लिये आयी थी, का चिकित्सीय परीक्षण किया था, जिसमें पीडिता ने परीक्षण हेतु अपनी सहमति दी थी, उसके हस्ताक्षर लिये गये थे। .....ये भी कथन किया है कि **पीडिता के कोई ताजा चोट नहीं थी। उसका यह द्वितीय परीक्षण था। हाईमन झिल्ली पुरानी फटी हुई थी तथा पुनः जुडी हुई थी।** उसके द्वारा वैजाईना स्लाईड बनायी गयी। पैथोलॉजि रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरान्त उसने पूरक रिपोर्ट तैयार की। **इसके अनुसार उसकी राय में वैजाईना में कोई पेनीटेशन नहीं पाया गया। स्लाईड में कोई शुकाणु नहीं पाये गये। जिरह में कथन किया है कि घटना के समय जो कपडे पहने थे, वह भी उसे नहीं दिखाये न बताया था। ....उसके परीक्षण में बलात्कार होने की पुष्टि नहीं है, उसकी राय है।** यहां ये उल्लेखनीय है कि **जब प्रथम**

बार पीडिता दिनांक 04.6.2016 को समय 4:30 बजे पी0एम0. चिकित्सीय परीक्षण हेतु गयी थी, तब उसने **अपना चिकित्सीय परीक्षण कराने से क्यों मना किया तथा सैम्पिल कलेक्शन के लिये क्यों असहमति की तथा चिकित्सीय रिपोर्ट पर उसने अपने हस्तलेख में घटना 6 माह पहले की होने के कारण अन्दरूनी जांच कराने को क्यों मना किया था तथा जब उसे पुनः दिंनाक 02.07.2016 को समय 01:05 बजे पी0एम0 दिन परीक्षण के लिये आयी थी। अपना चिकित्सीय परीक्षण कराया था, जिसमें उसने परीक्षण हेतु क्यों अपनी सहमति दी थी तथा क्यों चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट पर अपने हस्ताक्षर किये। पूर्व चिकित्सीय में क्यों असहमति व्यक्त की, घटना के सम्बन्ध में सन्देह उत्पन्न करता है। यहां ये भी उल्लेखनीय है कि पी0डब्लू0–1 श्रीमती ओमवीरी का न्यायालय में बयान दिंनाक 29.5.2017, 23.11.2017 एंव 26.6. 2011 को लेखबद्ध किया गया। पी0डब्लू0–1 के अनुसार पीडिता 06 वर्ष से वकालत पेशा कर रही है तथा घटना दिंनाक 30.10.2015 की होना बताया है अर्थात पीडिता वर्ष 20112–13 से वकालत व्यवसाय कर रही थी। इसका अर्थ यह है कि पीडिता कथित घटना की दिनांक को पूर्ण रूप से वालिग थी तथा अपना भला–बुरा सोचने समझने में पूर्ण रूप से सक्षम थी, पढी–लिखी है, तब उसने घटना के अगले दिन स्वंय थाने ना जाकर घटना के 6–7 माह बाद अपनी मॉ के माध्यम से घटना की बावत तहरीर थाने के उच्चअधिकारी को क्यों दी, सन्देह उत्पन्न करता है।**

22– जहां तक घटना की दिनांक 30.10.2015 को कपिल की बड़ी बहन संरिता के द्वारा फोन करने, कपिल के पिता चरन सिंह, कपिल का जीजा प्रताप सिंह, संजय, सतीश व मोनू सागर व सरिता के मौजूद होने व कपिल की बहन सरिता द्वारा उसे पीने के लिये कोल्ड ड्रिंक देने पर बेहोश होने का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में तहरीर प्रदर्श क–1 में उल्लेख है कि घटना की दिनांक को कपिल कुमार ने रूपये देने का बहाना बनाकर उसकी बेटी/पीडिता को अपने घर बुलाया। वहां उसके बहनोई प्रताप सिंह, मोनू सागर, सतीश, संजय मिले, जिन्होनें पीडिता को बहला– फुसला कर उसके फोटो खींचे तथा कोल्डड्रिंक पीने को दिया, जिससे पीडिता बेहोश हो गयी। वादनी पी0डब्लू0–1 श्रीमती ओमवीरी ने अपने बयान की मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि घटना की दिनांक को कपिल ने सविता को रूपये वापस करने के बहाने अपने घर बुलाया। कपिल के घर पर कपिल का बहनोई प्रताप सिंह, मोनू सागर मौजूद मिले जिन्होने उसकी बेटी की वीडियो बनायी तथा कोल्डड्रिंक पिलायी , जिससे पीडिता बेहोश हो गयी और संजय, मोनू, कपिल, सतीश ने बलात्कार किया था। जबकि पीडिता ने अपने बयान की मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि घटना की दिनांक को कपिल की बडी बहन सरिता ने फोन करके उसे बुलाया और कहा कि कुछ पैसों का इंतजाम हो गया

है, आकर ले जाओ। ....वह लगभग 7:00 बजे कपिल के घर गयी थी तो वहां पर कपिल की बहन सरिता, कपिल के पिता चरन सिंह, कपिल का जीजा प्रताप सिंह, संजय, सतीश व मोनू सागर मौजूद थे सरिता ने उसे पीने के लिये कोल्डड्रिंक दी, जिसे पीकर वह बेहोश हो गयी। रात को करीब डेढ–दो बजे उसे होश आया। उसे वीडियो दिखायी। वीडियो फिल्म में उसकी बेहोशी की हालत में कपिल व मोनू सागर ने उसकी इच्छा के विरूद्ध उसके साथ शारीरिक सम्बन्ध बनाये।.......इस घटना के बाद भी वीडियो की आड़ में कपिल व मोनू सागर ने उसके साथ अश्लील सम्बन्ध बनाये, वह बदनामी की डर से चुप रही। **विवेचक द्वारा प्रताप सिंह, संजय, सतीश, मोनू सागर, सरिता के मोबाईल फोन की साईबर सेल से मोबाईल की व आई.डी. व सी.डी.आर. प्राप्त की गयी, जिसका उल्लेख विवेचक ने केस डायरी के पर्चा संख्या–27 में किया है, जिसमें अंकित है कि मोबाईल नं0 9958148894 आई.डी. सतीश चन्द पुत्र सुरेश की लाकेशन दिंनाक 30.10.2015 को नोएडा में, मोबाईल नम्बर 8445710484 आई.डी. नरेन्द्र कुमार पुत्र नानक की दिंनाक 30.10.2015 को लोकेशन ग्राम केली खरखौंदा, मेरठ में, मोबाईल नं0 9891076709 मोनू सागर पुत्र दयाराम सिंह की लोकेशन दिंनाक 30.10.2015 की निल है। मोबाईल नं0 8445205589 सरिता देवी पत्नी प्रताप सिंह की घटना की दिनांक को लोकेशन निल है। यह मोबाईल ही दिंनाक 28.4.2014 को एक्टीवट हुआ है। उपरोक्त नम्बरो की लोकेशन दिंनाक 30.10.2015 को घटना वाले दिन नूर नगर लिसाडी रोड की नहीं पायी गयी और इसी कारण विवेचक द्वारा सरिता, प्रताप सिंह, सतीश कुमार, संजय, मोनू सागर की कथित घटना में संलिप्तता ना होने के कारण उनके नाम विलोपित कर मात्र अभियुक्त कपिल के विरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।**

23– बचाव पक्ष की ओर से सूची 16ख के माध्यम से अभियुक्त कपिल, पीडिता व अन्य के फोटोग्राफ 17ख/1 लगायत 17ख/27, 18ख विकलांग प्रमाण पत्र की छाया प्रति,, 19ख कोटपाल अस्पताल पल्लवपुरम, मेरठ द्वारा निर्गत इनवाईस एंव व्हाटसएप 20ख/1 लगायत 20ग/2 दाखिल किये गये है।

24– जहां तक पीडिता को अश्लील मैसेज भेजने एंव फोटोग्राफ 17ख/1 लगायत 17ख/27 का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में वादनी मुकदमा पी0डब्लू0–1 को पत्रावली पर संलग्न फोटो दिखाये गये तो साक्षी ने देखकर कहा कहा कि यह सभी फोटो जाली व फर्जी हैं। कपिल विकलांग है तथा इस सुझाव से इंकार किया कि उसने पीडिता की शादी कपिल के साथ की थी तथा कपिल से पैसे ऐंठने की गरज से उसने यह झूठा मुकदमा झूठा लिखाया हो तथा कपिल ने उसकी बेटी के फोन पर अपने नम्बर से कभी कोई अश्लील मैसेज न भेजा हो।

साक्षी ने अपने बयान में स्वंय स्वीकार किया है कि कपिल विकलांग है। पीडिता पी0डब्लू0–2 ने जिरह में कथन किया है कि दिंनाक 30.10.2015 के बाद उसने कभी कपिल को फोन नहीं किया और ना ही मैसेज भेजा। उसने जो अश्लील मैसेज व बात करने का बयान दिया है, वह 30.10.2015 के पहले व बाद में दोनों समय की हैं। उसने मैसेज नहीं भेजे। उधर से नये–नये नम्बरो से मैसेज और कॉल आते रहते थे। उसका मोबाईल नम्बर 9837910116 है। पहले भी यही नम्बर उसके पास था। मैसेज उसके ही नम्बर से भेजे गये थे। उसने नही भेजे। उस दौरान उसका मोबाईल गुम हो गया था। उसने मोबाईल गुम होने की दरखास्त थाना सदर बाजार दिया था। उसका मोबाईल वापस नहीं मिला था। उसने दूसरा सिम लेकर फिर वही नम्बर दोबार चालू कराया, कब कराया ,इस समय याद नहीं है। बहुत पुरानी बात हो गयी है। ये भी कथन किया है कि यह फोटो फर्जी बनाये गये हैं। वह किसी के पैर नहीं छू रही है। एनेक्सचर 1/4 वाले फोटो में बीच में खडे व्यक्ति का नाम मोनू सागर है। फोटो में दिखायी गयी सिंदूर, मंगलसूत्र वगैरह सभी झूठे हैं तथा साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि उसके माथे पर जो बिन्दी लगी है, वह शादी का सूचक हो। यह बिन्दी वह बचपन से लगाती है। यह चन्दन का टीका है। एनेक्सचर 1/17 को देखकर साक्षी ने कहा कि मिठाई खिलाते हुऐ फोटो किसका है, उसे नहीं पता। ये भी कथन किया है कि दिंनाक 15.02.2016 को वह कपिल के साथ डाक्टरी मुआयने के लिये पल्लवपुरम कोटपाल अस्पताल नहीं गयी थी। **पत्रावली पर सूची 16क से दाखिल फोटोग्राफ से यह स्पष्ट हो रहा है कि वह एक बुजुर्गो के पैर छू रही है, अभियुक्त द्वारा उसे मिठाई खिलायी जा रही है, गिफ्ट ले रही है, केक काट रही है, अभियुक्त कपिल के साथ खडी है, कपिल के कंधे पर हाथ रखे हुऐ है, कपिल पीडिता के कंधे पर हाथ डालकर फोटो खिचवा रही है। उक्त फोटोग्राफ में पीडिता कहीं भी मायूस, उदास या भयभीत नहीं लग रहीं है। एनेक्सचर 1/21 में तो पीडिता कपिल के कंधे पर सिर रख कर मुस्करा रही है। फोटोग्राफ में पीडिता की मांग भरी हुई व माथे पर बिन्दी लगी हुई दिख रही है, फर्जी होना अभियोजन द्वारा साबित नहीं किये गये हैं। पत्रावली पर कागज संख्या–19ख कोटपाल अस्पताल, पल्लवपुरम, मेरठ द्वारा निर्गत इनवाईस दिंनाकित 15 फरवरी, 2016 संलग्न छायाप्रति है, जिसमें कनसाईन के कालम में पीडिता का नाम पत्नी कपिल अंकित है, डिकलियेशन गुडस के कालम में अल्ट्रासाउण्ड(लोवर एबडोमिन) व 600/–रूपये फीस प्राप्ति का उल्लेख है। उक्त प्रपत्र से यह स्पष्ट हो रहा है कि दिंनाक 15 फरवरी, 2016 को पीडिता के पेट के निचले हिस्से का अल्ट्रासाउण्ड कोटपाल अस्पताल, पल्लवपुरम, मेरठ में कराया गया। अभियुक्त ने बयान अर्न्तगत धारा 313 दं0प्र0सं0 में कथन**

किया है कि दिंनाक 08.2.2015 को पीडिता के साथ उसकी शादी हुई थी। शादी के बाद वह गर्भवती हुई। अभियुक्त बच्चा चाहता था, पीड़िता बच्चा नहीं चाहती थी, इसी विवाद को लेकर फर्जी मुकदमा लिखाया गया है, अभियुक्त के द्वारा बयान अर्न्तगत धारा 313 में दिये गये इस कथन को बल मिलता है कि पीडिता के साथ अभियुक्त कपिल की शादी हुई थी तथा अभियुक्त बच्चा चाहता था, पीडिता बच्चा नहीं चाहता थी और इसी विवाद को लेकर मुकदमा लिखाया तथा पीडिता दिंनाक 15.02.2016 को कपिल के साथ अपना डाक्टरी मुआयना के लिये कोटपाल अस्पताल, पल्लवपुरम ,मेरठ गयी थी।

25— जहां तक तहरीर में इस बात का उल्लेख है कि अभियुक्त कपिल कुमार ने बताया कि दिल्ली विकास प्राधिकरण में अल्प आय वर्ग के लिये भवन बुक किये जा रहे हैं, जिस हेतु विकलांगो व विधवाओ हेतु अंकन 8,000/—रू0 और सामान्य वर्ग के लिये 20000/—रू0 बुकिंग हेतु जमा करने होगें तथा कई अधिकारियो व बाबुओ से उसने अपनी जान—पहचान बतायी। जिस पर कपिल कुमार ने उसके परिवार के सभी व्यक्तियो, रिश्तेदारो व जानकारो के फार्म भरवाये तथा उनके साथ उन सभी व्यक्तियों की चार फोटो, आई0डी0 व बैंक एकाउण्ट की फोटो कॉपियो तथा शपथ पत्र व वांछित धनराशि लेकर कुछ दिनों बाद उन लोगों को कपिल कुमार ने यह कहकर रसीदें सौंप दी कि आपके फार्म व रूपये दिल्ली विकास प्राधिकरण में जमा करा दिये गये हैं। कपिल कुमार ने वादनी व अन्य लोगों से करीब 12 लाख रूपये नकद ले लिये। कपिल कुमार ने सभी लोगों को छः माह के अंदर भवन आवंटन की बात बतायी थी, लेकिन कपिल कुमार के वायदेनुसार किसी को भी दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा भवन आवंटन की सूचना प्राप्त न होने के कारण उसने व अन्य लोगों ने कपिल कुमार के बारे में पूछताछ करनी शुरू कर दी तो वह कोई न कोई बहाना बनाकर टालता रहा।

26— इस सम्बन्ध में वादनी पी0डब्लू0—1 ने कथन किया है कि कपिल कुमार ने एक दिन बताया कि दिल्ली विकास प्राधिकरण में विकलांग व विधवाओं के 8000/— रूपये तथा सामान्य वर्ग के लिए बीस हजार रूपये जमा कराने पर भवन बुक कराये जा सकते है। मेरी प्राधिकरण में पहचान है। बुक कराने पर भवन जरूर मिल जायेगा। उसने अपने परिवार, रिश्तेदारों व जानकारों के फार्म भर कर कागजात व बारह लाख रूपये ले लिये तथा कपिल कुमार ने लिये रूपयों की फर्जी रशीद दी तथा बताया कि आपके रूपये प्राधिकरण में जमा करा दिये हैं तथा छः माह में मकान मिलना बताया। छः माह में मकान न मिलने तथा प्राधिकरण में पूछताछ की तो पता चला कि किसी के नाम कोई पैसा जमा नहीं कराया तथा रसीदे फर्जी हैं। कपिल से रूपये वापस मांगने पर बहन की शादी का झांसा देकर टालता रहा। जिरह में कथन किया है कि **कपिल ने मकानो के आवंटन के लिये विकलांगो व**

विधवाओ से 8000/–रूपये व सामान्य वर्ग से 20,000/–रूपये लिये। उसके व उसके रिश्तेदारो तथा जानकारो से कुल मिलाकर 70–75 फार्म भरवाये। कुछ लोगों को रसीदे भी दी थी। उसे रसीद दी थी या नहीं, याद नहीं है। उसने दरोगा जी को रसीद दिया था। कपिल ने यह मकान दिल्ली डी0डी0ए0 में बुक कराये थे। **उसने कपिल को कुल कितने रूपये दिये, याद नहीं है। पैसे घटना के कितने दिन पहले दिये थे, ध्यान नहीं है। उसने कपिल से आखिरी बार अपने पैसे कब वापिस मांगे, याद नहीं है।** पैसे देने से इंकार करने के बाद कपिल उसके घर नहीं आता–जाता था।अभियोजन साक्षी **पी0डब्लू0–2 पीडिता** ने अपने बयान की मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि कुछ दिन बाद कपिल ने आकर मेरी माताजी से बताया कि दिल्ली विकास प्राधिकरण में अल्प– आय वर्ग वाले भवन आंवटित होने है, उसके फार्म भरे जा रहे है, यह भीं बताया कि आठ हजार रूपये विकलांग व विधवा के लिये जमा होने है तथा सामान्य वर्ग के लिये बीस हजार रूपये में बुक किये जा रहे है। उसके बाद कपिल ने उसके पूरे परिवार के सदस्यों एवं अन्य बीस–पच्चीस लोगों के प्रार्थना पत्र दिल्ली विकास प्राधिकरण के अल्प आय वर्ग के भवन के फार्म भरे तथा साथ ही एक–एक आई.डी प्रूफ व चार फोटो तथा निश्चित धनराशि सभी से प्राप्त कर ली। मकान के आवंटन हेतु छः माह का समय बताया। इस तरह कपिल ने झूठ बोलकर उनसे व अन्य से लगभग बारह लाख रूपये ले लिये। जब छः महीने तक मकान नहीं मिला तो कपिल से पूछताछ की तो कपिल द्वारा दी गयी रसीदों को लेकर हम लोग दिल्ली विकास प्राधिकरण के दफतर गये और वहाँ पता चला कि वहाँ पर कोई भी अल्प आय वर्ग में मकान आवंटित हो रहे है और न ही कपिल नाम का कोई व्यक्ति यहॉ पर कार्य करता है और ये रसीदें फर्जी है। **कथित धनराशि किस–किस व्यक्ति द्वारा दिये गये तथा किसके सामने उक्त धनराशि अभियुक्त को दी गयी, इस आशय का कोई साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। यहां तक कि उन लोगों को भी न्यायालय साक्ष्य हेतु परीक्षित नहीं कराया गया, जिनके द्वारा अभियुक्त कपिल को धनराशि दी गयी, जो न्यायालय में उपस्थित होकर यह कथन करते कि उनके द्वारा अभियुक्त को अमुख धनराशि निर्बल वर्ग आवास आवंटन हेतु दी गयी**

साक्षीगण का ये भी कथन है कि जब वे कपिल से पूछताछ की तो कपिल द्वारा दी गयी रसीदों को लेकर वे लोग दिल्ली विकास प्राधिकरण के दफतर गये और वहाँ पता चला कि वहाँ पर कोई भी अल्प आय वर्ग में मकान आवंटित नहीं हो रहे है और न ही कपिल नाम का कोई व्यक्ति यहॉ पर कार्य करता है और ये रसीदें फर्जी है। परन्तु इस तथ्य की सत्यता जानने हेतु दिल्ली विकास प्राधिकरण के कार्यालय के उस कर्मचारी को भी न्यायालय के समक्ष पेश नहीं

किया, जिसने साक्षीगण पी0डब्लू0–1 एंव पी0डब्लू0–2 दिल्ली विकास प्राधिकरण के कार्यालय में गये हो और उनको यह बताया हो कि दिल्ली विकास प्राधिकरण के द्वारा कोई भी विकलांगो/विधवाओ हेतु निर्बल आय वर्ग में मकान आवंटित नहीं हो रहे है और न ही कपिल नाम का कोई व्यक्ति यहॉ पर कार्य करता है और रसीदें फर्जी है और ना ही इस सम्बन्ध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है।

अतः उपरोक्त विवेचना एंव विश्लेषण से न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि अभियुक्त द्वारा दिंनाक 30.10.2015 को वादी मुकदमा की पुत्री/पीडिता को रूपये लेने के बहाने बुलाया और उसे कोल्डड्रिंक पिलाई, जिससे वह बेहोश हो गयी और उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक सम्बन्ध बनाये तथा अश्लील वीडियो बनाकर उनको इन्टरनेट पर डालकर बदनाम करने की धमकी दी व जान से मारने की धमकी दी तथा बाद में भी शारीरिक सम्बन्ध बनाये। अभियोजन पक्ष यह भी साबित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त द्वारा वादी मुकदमा एंव रिश्तेदारो से करीब बारह लाख रूपये विकलांग एंव विधवा महिलाओ से निर्बल वर्ग आवास आवंटन हेतु धोखाधडी से प्राप्त किये तथा मांगने पर भी वापस नहीं किये।

<u>–: निस्तारण अवधार्य प्रश्न संख्या–2 :–</u>

अवधार्य प्रश्न संख्या–1 एंव 2 का उत्तर अभियुक्त के विरूद्ध नकारात्मक निर्णीत किया गया है। तदनुसार अभियुक्त कपिल कुमार को किसी प्रकार के दण्ड से दण्डित किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। तदनुसार अभियुक्त कपिल कुमार सत्र परीक्षण संख्या 91 सन् 2017, मु0 अ0 संख्या–196 सन् 2016, थाना ब्रहमपुरी, जिला मेरठ, अर्न्तगत धाराः 420, 406, 328, 376, 506 भा0दं0सं एंव धारा 67 सूचना प्रोद्योगिकी अधिनिय के आरोपों में सन्देह का लाभ देते हुऐ दोष मुक्त किये जाने योग्य हैं।

<u>आदेश</u>

अभियुक्त कपिल कुमार को सत्र परीक्षण संख्या 91 सन् 2017, मु0अ0 संख्या–196 सन् 2016, थाना ब्रहमपुरी, जिला मेरठ, अर्न्तगत धाराः 420, 406, 328, 376, 506 भा0दं0सं एंव धारा 67 सूचना प्रोद्योगिकी अधिनियम के अधीन लगाये गये दण्डनीय अपराध के आरोपों से संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त किया जाता है।

अभियुक्त जमानत पर है। अभियुक्त के जमानतनामे तथा बंध पत्र निरस्त किये जाते हैं तथा जमानतियों को जमानत के दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

अभियुक्त को आदेशित किया जाता है कि, वह धारा–437ए दं0प्रसं0 के अधीन पचास हजार रूपये का व्यक्तिगत बंध पत्र तथा इतनी ही धनराशि के दो प्रतिभू निर्णय की

तिथि से एक सप्ताह के अन्दर न्यायालय में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें।

दिनांकः 11–02–2026 **(कल्पना चौहान)**
अपर सत्र न्यायाधीश/
त्वरित न्यायालय संख्या–01,
मेरठ।

आज यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित होकर सुनाया गया।

दिनांकः 11–02–2026 **(कल्पना चौहान)**
अपर सत्र न्यायाधीश/
त्वरित न्यायालय संख्या–01,
मेरठ।

This is uncertified copy for information/ reference for authentic copy please to refer certified copy only.
D. Prasad, Meerut